केवल आप के लिये
गांव–गांव शहर–शहर देश दुनियां में अपनों तक पहुंचाना है तो :भारतीय बस्ती दैनिक वेब
www.bhartiyabasti.com
और उसका छपा संस्करण
सबसे बेहतर माध्यम
सम्पर्क–bhartiyabasti@gmail.com
मो0 9450567450| 9336715406

दैनिक
भारतीय बस्ती

भारतीय बस्ती
www.bhartiyabasti.com
के लिये विज्ञापन बुक कराये।
विचार, प्रचार का सशक्त माध्यम
सम्पर्क
मो0 9450567450
9336715406

भारतीय बस्ती आमंत्रण मूल्य 2रूपया

R.N.I. 38784/81 डाक पंजीकरण सं0 B.S.T 59 बस्ती, वर्ष :46 अंक 147 शुक्रवार 20 दिसम्बर 2024 (बस्ती संस्करण) बस्ती एवं अयोध्या–फैजाबाद से एक साथ प्रकाशित पृष्ठ :4मूल्य:3.00 रुपया www.bhartiyabasti.com

राहुल गांधी के खिलाफ भाजपा ने दर्ज कराया हत्या के प्रयास का मुकदमा

नई दिल्ली (आभा)। भीमराव आंबेडकर के सम्मान के नाम पर चल रहे प्रदर्शनों के बीच गुरूवार को संसद में भाजपा और कांग्रेस के बीच धक्कामुक्की हुई। भाजपा का आरोप है कि राहुल गांधी ने उनके सांसदों से धक्कामुक्की की थी। यह मामला थाने तक पहुंचा है और राहुल गांधी के खिलाफ हत्या के प्रयास का केस भी भाजपा ने दर्ज कराया है। इस बीच राहुल गांधी ने खुद प्रेस कॉन्फ्रेंस की और भाजपा पर मुद्दे से भटकाने का आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि मुख्य मुद्दा इससे शुरू हुआ कि अमेरिका में गौतम अडानी का एक केस आया।

भाजपा वालों की रणनीति थी कि अडानी के मामले पर कोई चर्चा न हो और यह दब जाए। इसके लिए ये कुछ न कुछ बाधा पैदा करते रहे।

-मसला तो अडानी और आंबेडकर का है, घुमा क्यों रही भाजपा- राहुल गांधी

इसके बाद अमित शाह का बयान आता है। हम शुरू कहते रहे हैं कि ये लोग संविधान और आंबेडकर जी के खिलाफ हैं। आज के घटनाक्रम की जानकारी देते हुए राहुल गांधी ने कहा कि हम लोग संसद भवन जा रहे थे। वहीं भाजपा के लोग तख्तियां लेकर खड़े थे। मुख्य मुद्दा है कि गौतम अडानी का मसला मुख्य है और ये लोग उसकी चर्चा नहीं चाहते। एक मुद्दा और हमारे सामने आया है, जो फर्जी है। उन्होंने कहा कि हम इनके खिलाफ पूरे देश में आंदोलन छेड़ेंगे।

वहीं मल्लिकार्जुन खरगे ने कहा, 'आज की सरकार और खासतौर पर होम मिनिस्टर ने जिस तरह का बयान भीमराव आंबेडकर जी पर दिया है, वह दुखदायक है। उन्होंने तथ्यों से परे बात की है। अमित शाह ने बाबासाहेब और नेहरू जी के बारे में आज तक जो कहा है, वह झूठ है। आज मुझे समय मिलता तो मैं बताता कि बाबासाहेब भीमराव आंबेडकर ने एक दोस्त को खत में क्या लिखा था।

एक नजर

वार्षिक खेल कूद प्रतियोगिता शुरू

–भारतीय बस्ती संवाददाता–
बस्ती। दिल्ली पब्लिक सीनियर स्कूल एवं यूरो किड्स पचपेडिया रोड बस्ती में वार्षिक खेल प्रतियोगिता का शुभारंभ हुआ। इस अवसर पर मुख्य अतिथि के रूप में गौ सेवा के आयोग के उपाध्यक्ष दर्जा प्राप्त राज्य मंत्री महेश शुक्ला जी ने तीन दिवसीय वार्षिक खेल प्रतियोगिता का शुभारंभ किया।

इस अवसर पर सुभाष शुक्ला, राजन गुप्ता, राजीव पांडे, डॉ वीरेंद्र तिवारी, रोटेरियन एलके पांडे, अमित सिंह, राम बिनय पांडेय, जयेश सिंह मुन्ना, बृजेश सिंह सहित तमाम समाजसेवी उपस्थित थे। विद्यालय के प्रबंधक मिस्टर अमरमणि पांडेय तथा विद्यालय की प्रधानाचार्य अर्चना पांडेय ने दीप प्रज्वलन करके कार्यक्रम को आगे बढ़ाया।

विद्यालय प्रबंधक अमरमणि पांडेय ने मशाल को हेड कैप्टन रोशन पाल को देकर खेल की शुरुआत की। देवांश कैप्टन लायन टीम, जयंत,कैप्टन हॉक स्टीम, सोनाक्षी कैप्टेन डॉल्फिन टीम और श्वेता,कैप्टेन रैपिटर ने अपनी–अपनी टीम को कमांड देकर परेड मार्च की शुरुआत की और गेम को शुरू किया।

इस अवसर पर विद्यालय की शैक्षणिक व्यवस्थापिका श्रीमती दिव्या पाठक ने बच्चों को खेल भावना के साथ खेलने टीम भावना जागरूक करने और स्वास्थ्य संबंधी लाभों के बारे में बताया।

कार्यक्रम के समन्वयं में चारों हाउस के वार्डन अविनाश रेड रैपटर, आशीष चौधरी ब्लू डॉल्फिन, रिचिका सिंह येलो लायन,सिद्र फातिमा ग्रीन हॉक्स को नियंत्रित किया सहयोग में निम्न अध्यापक एवं अध्यापिका सम्मिलित रहे नीलम चौधरी ,के बी लाल, पूजा शुक्ला, अंकिता श्रीवास्तव, प्रिया श्रीवास्तव ,संस्कृति श्रीवास्तव संजू सिंह, रिया सिंह लक्ष्मी वर्मा, सुमन गुप्ता, दिव्या जायसवाल ,अवनी गुप्ता रहे।

स्काउट गाइड शिविर सम्पन्न

–भारतीय बस्ती संवाददाता–
बस्ती। भारत स्काउट और गाइड उत्तर प्रदेश जिला संस्था के तत्वावधान में संचालित तीन दिवसीय स्काउट गाइड प्रशिक्षण शिविर यूनिक ग्लोबल एकेडमी पायकपुर बस्ती में टेंट निरीक्षण के साथ संपन्न हुआ, मुख्य अतिथि झिनकू लाल त्रिवेणी राम चौधरी इंटर कॉलेज कलवारी के प्रधानाचार्य , जिला मुख्यालय आयुक्त स्काउट आज्ञाराम चौधरी ने बच्चों द्वारा बनाए गए टेंट का निरीक्षण करते हुए अपने उद्बोधन में कहा कि स्काउट गाइड के प्रशिक्षण से बच्चों के अंदर अनुशासन, देश प्रेम के साथ–साथ विषम परिस्थितियों में जीवन जीने की कला का विकास होता है, विद्यालय के प्रबंधक आलोक कुमार श्रीवास्तव ने मुख्य अतिथि का स्वागत किया और कहा कि इस तरह के प्रशिक्षण प्रतिवर्ष हर विद्यालय में होने चाहिए जिला संस्था बस्ती से आए हुए जिला संगठन कमिश्नर स्काउट प्रताप शंकर पांडेय, ट्रेनिंग काउंसलर स्काउट आदर्श मिश्रा, ट्रेनिंग काउंसलर गाइड मुस्कान प्रजापति ने बच्चों को तीसरे दिन टेंट पिचिंग, गेट निर्माण, गैजेट निर्माण, पाक विद्या, हस्तकला प्रदर्शनी आदि की जानकारी दी, शिविर व्यवस्थापक विद्यालय के प्रधानाचार्य सुभाष चंद्र यादव ने आए हुए समस्त अतिथियों का स्वागत करते हुए कार्यक्रम के समापन की घोषणा की तीन दिवसीय प्रशिक्षण में विद्यालय स्काउट मास्टर दिलीप कुमार सिंह का सराहनीय योगदान रहा, इस मौके पर मनोरमा नायक, सुमन सिंह,बी. एन. सिंह, मनोरमा पटेल, मांडवी, प्रिया सोलंकी, हरिओम श्रीवास्तव,पी पी यादव, राजेशश्रीवास्तव, अजमेर, शुभम, गायत्री आदि की सहभागिता रही।

लोकतंत्र का गला घोट रही है योगी सरकार–महेन्द्र श्रीवास्तव

–भारतीय बस्ती संवाददाता
बस्ती। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता आर.टी.आई. विभाग के प्रदेश उपाध्यक्ष एवं पूर्वान्चल प्रभारी महेन्द्र श्रीवास्तव ने कांग्रेस द्वारा जमीनी सवालों को लेकर विधानसभा घेराव के दौरान कांग्रेस नेताओं को समूचे प्रदेश में हाउस अरेस्ट किये जाने, घेराव से रोकने और गोरखपुर के कांग्रेस कार्यकर्ता युवा कांग्रेस के पूर्व सचिव प्रभात कुमार पाण्डेय की पुलिसिया पिटाई में मौत की कड़े शव्दों में निन्दा किया।

घेराव में शामिल होने के बाद यहां जारी प्रेस विज्ञप्ति के माध्यम से कांग्रेस नेता महेन्द्र श्रीवास्तव ने कहा कि लोकतंत्र में धरना प्रदर्शन, सभा, घेराव करना राजनीतिक दलों का मौलिक अधिकार है किन्तु प्रदेश की योगी आदित्यनाथ की सरकार पुलिस के सहारे लोकतंत्र की भावना को कुचल देना चाहती है। कांग्रेस कार्यकर्ता उनके इस मंसूबे को कभी सफल नहीं होने देंगे। कहा कि कांग्रेस कार्यकर्ता प्रभात कुमार पाण्डेय की पुलिसिया पिटाई से मौत के लिये सीधे तौर पर प्रदेश की योगी सरकार जिम्मेदार है। कहा कि योगी सरकार लोकतांत्रिक परम्पराओं का गला घोट रही है।

कांग्रेस नेता महेन्द्र ने कहा कि कांग्रेस के नेता जब अंग्रेजों से नहीं डरे तो वे योगी सरकार से क्या डरेंगे। जनहित के सवालों को लेकर कांग्रेस का विरोध प्रदर्शन जारी रहेगा। प्रभात पाण्डेय का बलिदान व्यर्थ नहीं जायेगा।

धान क्रय केन्द्र का निरीक्षण

–भारतीय बस्ती संवाददाता–
बस्ती । जिलाधिकारी रवीश गुप्ता ने मण्डी परिसर में स्थित भारतीय खाद्य निगम एवं मंडी समिति धान क्रय केंद्र का औचक निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान उन्होने पाया कि भारतीय खाद्य निगम केंद्र पर तौल हो रही है, नमी मापक यंत्र एवं कांटे सही से कार्य कर रहे है। उन्होने तौले जा रहे धान का नमी परीक्षण करवाया, जो 13 प्रतिशत पाया, वो मानक 17 प्रतिशत के अंतर्गत है।

देश से माफी मांगे अमित शाहः बाबा साहेब का अपमान बर्दाश्त नहीं- आर.के. आरतियन

–भारतीय बस्ती संवाददाता–
बस्ती। भारत मुक्ति मोर्चा जिलाध्यक्ष आर.के. आरतियन ने कहा है कि बाबासाहेब भीमराव आंबेडकर को लेकर केन्द्रीय गृह मंत्री अमित शाह का सदन में दिया गया भाषण दुर्भाग्यपूर्ण है। कहा कि भाजपा की नजर में बाबा साहेब चाहे जो हों किन्तु गरीबों, दलितों के लिये वे किसी मसीहा से कम नही है। ऐसे महामानव का अपमान दलित समाज कभी भूलेगा नहीं।

भारत मुक्ति मोर्चा जिलाध्यक्ष आर.के. आरतियन ने मांग किया कि गृह मंत्री अमित शाह अपनी भूल स्वीकारे और माफी मांगे वरना देश का दलित समाज भाजपा और अमित शाह को कभी माफ नहीं करेगा। कहा कि अमित शाह के बयान से बाबासाहेब आंबेडकर के अनुयायियों में जबरदस्त आक्रोश है। अमित शाह

अपने शव्द को वापस ले , यदि ऐसा नहीं हुआ तो बाबा साहेब के अनुयायी इसे कभी इसे भूला नहीं पाएंगे । कहा कि सदन में जिस प्रकार से बाबा साहब का गृह मंत्री अमित शाह ने अपमान किया उससे सिद्ध हो गया है कि भाजपा और संघ परिवार को दलितों का सिर्फ वोट चाहिये, उनका असली चेहरा इस बयान से सामने आ गया है।

बाबा साहब पर टिप्पणी से रोषः समाजवादियों ने फूंका गृह मंत्री अमितशाह का पुतला

–भारतीय बस्ती संवाददाता–
बस्ती । केन्द्रीय गृह मंत्री अमित शाह द्वारा बाबा साहब डा. भीमराव अम्बेडकर पर सदन में की गई टिप्पणी को लेकर समाजवादियों में रोष है। गुरूवार को सपा के युवा और फ्रन्टल संगठनों के पदाधिकारियों, कार्यकर्ताओं ने नारेबाजी करते हुये सिविल लाइन तिराहे पर महाराणा प्रताप की प्रतिमा के निकट केन्द्रीय गृह मंत्री अमित शाह का पूतला फूंका। वक्ताओं ने कहा कि अमित शाह के बयान से स्पष्ट हो गया है कि भाजपा और संघ परिवार बाबा साहब के नीतियों के मानसिक विरोधी है। उन्हें दलितों का वोट चाहिये किन्तु बाबा साहब स्वीकार्य नहीं है। मांग किया कि अमित शाह देश से अपने बयान के लिये सदन में माफी मांगे। गृह मंत्री अमित शाह का पुतला फूंकने वालों में मुख्य रूप से गिरीश चन्द्र, रजनीश यादव, अखिलेश यादव, अजय यादव, मोहम्मद हारिश अमित गौड़ आदि शामिल रहे।

गन्ने की फसल काटने के लिये एसपी से लगाया गुहार

–भारतीय बस्ती संवाददाता–
बस्ती। गौर थाना क्षेत्र के केसरई निवासी राम उजागिर पुत्र बाले ने पुलिस अधीक्षक को पत्र भेजकर न्याय की गुहार लगाया है। भेजे पत्र में राम उजागिर ने कहा है कि हर्रैया तहसील क्षेत्र के आराजी नम्बर 334 मि0 रकबा 1.9.8 एवं गाटा संख्या 362 रकबा 0.709 पर गन्ने की फसल बो रखा है। खेत पर उसका मुद्दतों से कब्जा है। गांव के ही रामकेवल पुत्र रामफेर का उक्त जमीन से कोई वास्ता नहीं है किन्तु वे जोर जबरदस्ती करते रहते हैं। राम उजागिर ने एसपी से मांग किया है कि इस सम्बन्ध में गौर थानाध्यक्ष को निर्देशित किया जाय कि गन्ने की फसल को काटे जाने में कोई अवरोध न आने पाये।

डॉ. अम्बेडकर की धुर विरोधी है भाजपा– अजय राय

–भारतीय बस्ती संवाददाता–
बस्ती। भारतीय जनता पार्टी की मातृ संस्था आर.एस.एस. बाबा साहब डा. अम्बेडकर की धुर विरोधी है। राज्यसभा में भाषण के दौरान दिल की बात अमित शाह की जुबान पर आ गई। कांग्रेस पार्टी शुरू से बाबा साहब का सम्मान करती है और भविष्य में करती रहेगी। यह बातें कांग्रेस पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष अजय राय ने कही।

राय पार्टी कार्यकर्ता प्रभात पाण्डेय की अन्त्येष्टि में शामलि होने के बाद गोरखपुर से लखनऊ वापस जाते समय बस्ती में पूर्व विधायक अंबिका सिंह के आवास पर पत्रकारों से बातचीत कर रहे थे। उन्होने कहा बाबा साहब को कांग्रेस पार्टी ने ही ड्राफ्टिंग कमेटी का चेयरमैन बनाया था। उन्हे महिमामंडित किया। जो संविधान का सम्मान करते हैं वे मरते दम तक बाबा साहब का सम्मान करेंगे। जिनके मन में संविधान से बड़ा स्थान मनुस्मृति का है वे कतई

संविधान को सम्मान नही दे सकते। कांग्रेस पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष ने कहा संविधान बदलने की बात अनंत हेगड़े, लल्लू सिंह और अरूण गोविल ने कहा था। ये कौन हैं।

मस्जिदों में मन्दिर ढूढ़ने के सवाल पर अजय राय ने कहा भाजपा यह सब मुद्दों से ध्यान हटाने के लिये कर रही है। वाराणसी यानी मोदीजी के संसदीय क्षेत्र में प्राचीन अक्षयवट ध्वस्त कर दिया गया गया, सैकड़ों मन्दिर तोड़वा दिया। शंकराचार्य द्वारा स्थापित सरस्वती मां का मन्दिर तोड़वा दिया गया। भाजपा की ईश्वर में आस्था नही है, उसके लिये भगवान केवल सत्ता हासिल करने का माध्यम हैं। अजय राय ने कहा लखनऊ में प्रदर्शन के दौरान हमारे जांबाज कार्यकर्ता प्रभात पाण्डेय की मौत अत्यन्त दुखद है। आज हम उनके अंतिम संस्कार में गोरखपुर जा रहे थे। योगी सरकार की पुलिस ने इसमें भी बाधा उत्पन्न करने की भरूपर कोशिश की।

कांग्रेस पार्टी पीड़ित परिवार के साथ खड़ी है। प्रभात की मौत नही हत्या हुई है। पूर्व विधायक अंबिका सिंह के यहां भोजन करने के उपरान्त अपने काफिले के साथ लखनऊ रवाना हो गये। प्रदेश अध्यक्ष के साथ गोरखपुर जाने वालों में प्रमुख रूप से प्रदेश उपाध्यक्ष विश्वविजय सिंह, बस्ती जिलाध्यक्ष ज्ञानेन्द्र पाण्डेय, संतकबीरनगर जिलाध्यक्ष पवीण चंद पाण्डेय, सिद्धार्थनगर अध्यक्ष काजी सुहेल अहमद, प्रशान्त पाण्डेय, मो. रफीक खां, शौकत अली, शेर मोहम्मद, डा. दीपेन्द्र सिंह, गिरजेश पाल, अतीउल्लाह सिद्धीकी, डीएन शास्त्री, लक्ष्मी यादव, अनिल त्रिपाठी, साधूसरन आर्य, विश्वनाथ चौधरी, अभिषेक सूर्यवंशी, शुभम गौड, बालमुकुन्द मिश्रा, नोमान अहमद, सुधीर यादव, उमाशंकर त्रिपाठी, प्रशान्त वर्मा आदि मौजूद रहे।

सड़क पर गड्ढे ठीक करें, लगायें संकेतक चिन्ह–मण्डलायुक्त

–भारतीय बस्ती संवाददाता–
बस्ती । मण्डलायुक्त अखिलेश सिंह ने आयुक्त सभागार में मण्डलीय सड़क सुरक्षा समिति की बैठक को सम्बोधित करते हुए परियोजना निदेशक एनएचआई को निर्देशित किया कि एन.एच. 28 पर हर्रैया एवं छावनी के मध्य अंधे मोड होने के कारण दुर्घटना की सम्भावना को कम करने हेतु पर्याप्त प्रकाश की व्यवस्था एवं बड़े संकेतक चिन्ह लगाये जाये। उन्होने पटेल चौक, हर्रैया, नवीन मण्डी के पास गड्ढे को ठीक कराने का भी निर्देश दिया है। उन्होने गति सीमा संकेतक भी लगाये जाने का निर्देश दिया है। उन्होने एन.एच.आई. पर स्थित वैध तथा अवैध कटो पर सर्वेक्षण कर आख्या उपलब्ध कराने का निर्देश दिया है। उन्होने ब्लैक स्पॉट एवं

दुर्घटना क्षेत्र की पहचान कर सुधारात्मक उपाय करने के निर्देश दिये है। उन्होने यातायात नियमों का पालन ना करने वाले वाहन स्वामियों पर प्रवर्तन कार्यवाही किए जाने का निर्देश एआरटीओ पंकज कुमार को दिया है। उन्होने यह भी निर्देश दिया कि बिना फिटनेस के कोई भी वाहन ना संचालित किए जाये। उन्होने संबंधित अधिकारियों को निर्देशित किया कि सड़क दुर्घटना होने की स्थिति में घायल को तुरन्त चिकित्सीय उपचार की सुविधा उपलब्ध कराया जाय। त्वरित उपचार मिलने से घायल की जान काफी हद तक बचाई जा सकती है। उन्होने कहा कि हिट एण्ड रन की दुर्घटना होने की स्थिति में सोलेशियम स्कीम के तहत नियमानुसार संबंधित को राहत धनराशि उपलब्ध करायी जाय।

चिट फण्ड कम्पनी बनाकर ठगी के मामलों में कार्रवाई की मांगः भेजा ज्ञापन

–भारतीय बस्ती संवाददाता–
बस्ती। संकल्प सामाजिक सशक्तिकरण व संरक्षण संस्था जिलाध्यक्ष प्रकाश कुमार के नेतृत्व में जिलाधिकारी के प्रशासनिक अधिकारी के माध्यम से उत्तर प्रदेश की राज्यपाल को ज्ञापन भेजा गया। ज्ञापन में मांग किया गया है कि चिट फण्ड कम्पनी बनाकर पोंजी स्कीम का उपयोग करके रंजीत कुमार मौर्य संस्थापक शिवा ग्रुप और एस.एस.जी. ग्रुप व 15 अन्य कम्पनियों के द्वारा भोली भाली जनता को ठगे जाने के मामलों की जांच कराकर दोषियों पर कड़ी कार्रवाई की जाय।

ज्ञापन देने के बाद प्रकाश कुमार ने बताया कि बस्ती, अयोध्या, गाजीपुर बाराबंकी, वाराणसी सहित अनेक जनपदों में अयोध्या निवासी रंजीत कुमार मौर्या पुत्र बैजनाथ मौर्या वर्तमान निवास वृन्दावन योजना

लखनऊ संस्थापक शिव ग्रुप व 15 अन्य कम्पनी द्वारा चिट फण्ड कम्पनी बनाकर पोंजी स्कीम का उपयोग करके लाखों लोगों के मेहनत की जमा पूंजी को फर्जी तरीके से ठगा जा रहा है। यही नहीं हवाला के माध्यम से विदेशों में भी धन जमा किया गया है। मांग किया कि इस घोटाले को संज्ञान में लेकर दोषियों के विरूद्ध कड़ी कार्रवाई की जाय।

ज्ञापन देने वालों में प्रकाश कुमार, शिव गणेश, श्रवण कुमार, राहुल कुमार, पंचलाल, बुद्धेश राना, अर्जुन, राकेश कुमार, सिद्धार्थ, आदि शामिल रहे।

रालोद की किसान गोष्ठी में चौधरी चरण सिंह के योगदान पर विमर्श

–भारतीय बस्ती संवाददाता–
बस्ती । पूर्व प्रधानमंत्री भारत रत्न चौधरी चरण सिंह जयन्ती पखवाडा की कड़ी में बनकटी विकास खण्ड के बढया गांव में राष्ट्रीय लोकदल के मण्डल अध्यक्ष राधेश्याम चौधरी के संयोजन में किसान गोष्ठी का आयोजन किया गया।

गोष्ठी को मुख्य अतिथि के रूप में सम्बोधित करते हुये रालोद के वरिष्ठ नेता ओम प्रकाश चौधरी ने कहा कि देश में जब किसान हितों की बात आती है तो चौधरी चरण सिंह का नाम सबसे पहले आता है। कहा कि आज जब किसान अपने अधिकारों के लिये आन्दोलित हैं, रालोद उनके साथ है।

रालोद के क्षेत्रीय अध्यक्ष विवेक चौधरी ने कहा कि रालोद किसानों, नौजवानों के हितों के लिये संकल्पित है। राष्ट्रीय अध्यक्ष जयन्त चौधरी केन्द्रीय मंत्री के रूप में चौधरी चरण सिंह के सपनों को साकार करने में जुटे हैं। हम सबको मिलकर पार्टी की मजबूती के लिये जोर लगाना होगा। गोष्ठी को शिव कुमार गौतम,

–किसान हितों के लिये समर्पित है रालोद– ओम प्रकाश चौधरी

सर्वेश वर्मा, विपिन सिंह, रमेश चन्द्र गिरी, दिनेश सिंह, राधेश्याम यादव, राय अंकुरम श्रीवास्तव, श्रीराम मौर्य आदि ने सम्बोधित किया। इसी क्रम में चिकित्सा क्षेत्र में योगदान के लिये पटेल हास्पिटल के चेयरमैन श्यामलाल चौधरी को उनके योगदान के लिये सम्मानित किया गया।

कार्यक्रम में मुख्य रूप से राम विलास पाण्डेय, त्रियुगी चौबे, रामयज्ञ मिश्र, द्वारिका सिंह, अरूण चौधरी, राम अजोर चौधरी, राधेरमण त्रिपाठी, जयराम चौधरी, हनुमान चौधरी, राजेश पाण्डेय, गुड्डू चौधरी, ध्यानेश्वर चौधरी, कन्हैया पाण्डेय, राजमन चौधरी, प्रेमचन्द्र, ओम प्रकाश चतुवेदी, बीरबल चौधरी, राजेन्द तिवारी, पहाडीलाल, चन्द्रिका प्रसाद, घनश्याम चौधरी, हजारी चौधरी, प्रद्युम्न पाण्डेय, अब्बास अली, सुभाष गिरी के साथ ही क्षेत्रीय नागरिक और किसान शामिल रहे।

पुण्य तिथि पर याद किये गये अशफाक उल्ला खां

–भारतीय बस्ती संवाददाता–
बस्ती । गुरूवार को भारतीय स्वतन्त्रता संग्राम में अपना सर्वस्व न्यौछावर कर देने वाले अशफाक उल्ला खां को उनकी पुण्य तिथि पर याद किया गया। कबीर साहित्य सेवा संस्थान के अध्यक्ष मो. सामईन फारूकी द्वारा प्रेस क्लब सभागार में आयोजित कार्यक्रम में मुख्य अतिथि डा. वी.के. वर्मा ने कहा कि काकोरी कांड के मामले में राम प्रसाद बिस्मिल के साथ अशफाकुल्ला खां को भी फांसी दी गई थी। 19 दिसंबर, 1927 को उनको फांसी की सजा दी गई थी। अशफाक उल्ला खां भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के प्रमुख क्रांतिकारी थे और स्वतंत्रता संग्राम के इतिहास में उनका नाम स्वर्णिम अक्षरों में अंकित है। कहा कि अशफाक की भूमिका निर्विवाद रूप से हिन्दू–मुस्लिम एकता का अनुपम उदाहरण है।

अध्यक्षता करते हुये बी.के. मिश्र ने कहा कि अशफाक उल्ला खां ने सहारनपुर–लखनऊ 8 डाउन

पैसेंजर ट्रेन में जाने वाले धन को काकोरी में लूटने की योजना बनाई। 9 अगस्त 1925 को राम प्रसाद बिस्मिल के नेतृत्व में अशफाक उल्ला खां समेत आठ अन्य क्रांतिकारियों ने इस ट्रेन को लूटकर भारत के वीर स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों ने अंग्रेजों के समक्ष कड़ा प्रतिकार प्रस्तुत किया। उन्हे ट्रेन को लूटने के कारण गिरफ्तार कर लिया गया और अंग्रेजी सरकार द्वारा उन्हे फांसी पर लटका दिया गया। उनका योगदान सदैव याद किया जायेगा।

वरिष्ठ अधिवक्ता श्याम प्रकाश शर्मा, डा. राम कृष्ण लाल 'जगमग' ओंकार चतुर्वेदी, तौव्वाब अली, सुशील सिंह पथिक, अहमद जावेद अंसारी आदि ने कहा कि अशफाक उल्ला खां हमेशा–हमेशा के लिए अमर हैं और भारत माता के अमर सपूत के रूप में आज भी प्रत्येक भारतीय के लिए प्रेरणादायी हैं। नयी पीढी को उनसे प्रेरणा लेनी चाहिये। अशफाक उल्ला खां को पुण्य तिथि पर याद करने वालों में मुख्य रूप से फूलचन्द चौधरी, चन्द्रमोहन लाल श्रीवास्तव, अजीत श्रीवास्तव, अर्चना श्रीवास्तव, रामलौट, दीपक सिंह प्रेमी, अनुराग श्रीवास्तव के साथ ही अनेक लोग उपस्थित रहे।

"मुझे अखबार निकालने दो तो मै इस बात की परवाह नहीं करता कि कौन धर्म का नियामक है और कौन कानून का निर्माता"–वेंडेल फिलिप्स

दैनिक
भारतीय बस्ती
बस्ती 20 दिसम्बर 2024 शुक्रवार

सम्पादकीय

बढते भ्रष्टाचार पर मौन

केंद्र और भाजपा शासित राज्यों की सरकारें कितना ही भ्रष्टाचार मुक्त शासन देने का दावा करें किंतु सच्चाई इसके विपरीत है। एक सर्वे में दावा किया गया है कि 100 में से 66 लोगों को अपना काम कराने के लिए सरकारी तंत्र को रिश्वत देनी पड़ती है किंतु सच्चाई इसके विपरीत है। शायद ही कोई विभाग ऐसा होगा जहां बिना रिश्वत दिए काम हो जाए। सब जगह हालत बहुत खराब है। गैर भाजपा राज्यों की तरह भाजपा शासित राज्यों में भी प्रशासनिक तंत्र में भ्रष्टाचर का बोलबाला है। सरकारें मौन हैं।

देश में केंद्र और राज्य सरकारें कारोबार में सहूलियत और निजी क्षेत्र के निवेश में तेजी लाने पर जोर दे रहीं हैं। वहीं भ्रष्ट सरकारी मशीनरी अपनी पूरी क्षमता का इस्तेमाल कंपनियों और उद्यमियों से अवैध तरीके से पैसे उगाहने में लगी हैं, जिसके चलते देश में उद्यमिता को बढ़ावा देने की सिंगल विंडो क्लियरेंस और ईज आफ डुइंग बिजनेस जैसे प्रयासों को पलीता लग रहा है। एक सर्वे में यह बात सामने आई है कि करीब 66 प्रतिशत कंपनियों को सरकारी सेवाओं का लाभ लेने के लिए रिश्वत देनी पड़ती है। कंपनियों ने दावा किया कि उन्होंने सप्लायर क्वॉलीकेशन, कोटेशन, ऑर्डर प्राप्त करने तथा भुगतान के लिए रिश्वत दी है। लोकल सर्कल्स की रिपोर्ट के अनुसार कुल रिश्वत का 75 प्रतिशत कानूनी, माप–तौल, खाद्य, दवा, स्वास्थ्य आदि सरकारी विभागों के अधिकारियों को दी गई।

जांच रिपोर्ट कहती है कि कई कारोबारियों ने जीएसटी अधिकारियों, प्रदूषण विभाग, नगर निगम और बिजली विभाग को रिश्वत देने की भी सूचना दी है। पिछले 12 महीनों में जिन कंपनियों ने रिश्वत दी, उनमें से 54 प्रतिशत को ऐसा करने के लिए मजबूर किया गया, जबकि 46 प्रतिशत ने समय पर काम पूरा करने के लिए भुगतान किया। इस तरह की रिश्वत जबरन वसूली के बराबर है। सरकारी एजेंसियों के साथ काम करते समय कंपनियों के काम जानबूझ कर रोके जाते हैं और रिश्वत लेने के बाद ही फाइल को मंजूरी दी जाती है। सीसीटीवी कैमरों लगाने से सरकारी कार्यालयों में भ्रष्टाचार कम नहीं हुआ है। सर्वे में दावा किया गया है कि सीसीटीवी से दूर, बंद दरवाजों के पीछे रिश्वत दी जाती है।

रिपोर्ट में कहा गया है कि हालांकि सरकारी ई–प्रोक्योरमेंट मार्केटप्लेस जैसी पहल भ्रष्टाचार को कम करने के लिए अच्छे कदम हैं, लेकिन सरकारी विभागों में रिश्वत लेने के रास्ते खुले हुए हैं। भ्रष्टाचार के मुद्दे पर डेलायट इंडिया के पार्टनर आकाश शर्मा ने कहना है कि बहुत सी कंपनियों को लगता है कि नीतियों और प्रक्रिया के मामलों में थोड़ा पैसा देते रहने नियम कानून के मोर्चे पर कड़ी जांच पड़ताल और जुर्माने से बच जाएंगे। सर्वे में 18,000 कारोबारियों के जवाब को शामिल किया गया है। सर्वे देश के 159 जिलों में हुआ है।

व्यवसायों ने पिछले 12 महीनों में आपूर्तिकर्ता के रूप में अर्हता प्राप्त करने, कोटेशन और ऑर्डर सुरक्षित करने तथा भुगतान एकत्र करने के लिए विभिन्न प्रकार की संस्थाओं को रिश्वत देने की बात स्वीकार की है। यह सर्वेक्षण 22 मई से 30 नवंबर 2024 के बीच किया गया था। सर्वेक्षण में भाग लेने वाली व्यावसायिक फर्मों ने कहा कि 75 प्रतिशत रिश्वत कानूनी, मेट्रोलॉजी, खाद्य, औषधि, स्वास्थ्य आदि विभागों के अधिकारियों को दी गई।

भाजपा शासित प्रदेश वाले राज्यों में तो सपा.बसपा शासन काल में जहां गलत काम एक हजार रूपये में हो जाता था, अब भाजपा शासन में गलत काम तो होता ही नहीं, सही काम कराने के भी एक हजार की जगह बीस हजार रूपये दिए जाते हैं। बिजली के कनेक्शन के लिए आवेदन करिये। ये बहुत छोटा काम है, किंतु बिजली इंस्पेक्टर को रिश्वत दिए कनेक्शन स्वीकृत नहीं होगा। बिजली की फीटिंग किसी से भी कराएं किंतु बिजली विभाग के अधिकृत ठेकेदार से बिजली फीटिंग का प्रमाणपत्र लेना होता है। यही ठेकेदार बिजली इंस्पेक्टर का भाग भी आपसे ले लेता है। रजिस्ट्रार आफिस में धड़ल्ले से बैनामे की राशि का दो प्रतिशत वसूला जाता है। यह राशि अधिकारी सीधे नहीं लेते। बैनामा लिखने वाला कातिब लेता है। शाम को बैठकर आराम से दिन भर का लेन.देन हो जाता है। एनओसी देने वाले विभागों की तो हालत और भी खराब है। फायर विभाग के अधिकारियों ने तो अपने ठेकेदार रख लिए हैं। अग्नि सुरक्षा का सारा काम ये ही कराते हैं। इसके बाद भी एनओसी साइन करने के लिए लाखों रूपया वसूला जाता है। और तो और अग्निशमन अधिकारी एनओसी देने से पहले फायर उपकरण अपने चहेते ठेकेदार से सप्लाई कराते हैं। स्थानीय निकाय में निर्माण कार्यों में 45 से 55 प्रतिशत सरे आम कमीशन लिया जा रहा है।

केंद्र और प्रदेश सरकार के आदेश हैं कि सरकारी खरीद जेम पार्टल से हो। इसका भी रास्ता निकल गया। कंपनी के एजेंट अधिकारियों से मिलते हैं। कमीशन तै होता है। अधिकारी अपना जैम पोर्टल का पासवर्ड कंपनी के एजेंट को बता देते हैं। एजेंट पासवर्ड लेकर जैम पार्टल से ही अपनी फर्म से खरीदारी करता है। सामान के रेट में अधिकारियों का कमीशन जुड़ जाता है। सब वैसे ही चल रहा है। कहीं कुछ नहीं बदला। सरकार भ्रष्टाचार रोकने को आदेश बाद में करती है। अधिकारी और सप्लायर रास्ता पहले निकाल लेतें हैं। उत्तर प्रदेश में आदेश हो गए कि सामान प्रदेश स्तर से खरीदा जाएगा। अब काम और भी सरल हो गया। पहले जिलों में अधिकारियों से संपर्क कर माल सप्लाई होता था। अब अकेले प्रदेश स्तर में ही जुगाड़ करना पड़ता है। इसी का कारण है कि जिलों के अस्पतालों में वितरण के लिए वे दवाई आती हैं, जिनकी एक्सपायर डेट नजदीक होती है। दवा आने के साथ ही आदेश आते हैं कि दवा की एक्सपायर डेट नजदीक है। जल्दी बांटकर दवा खत्म करो। सरकारी अस्पतालों में मरीजों को घटिया क्वालिटी के भोजन वितरण की शिकायत आम बात हैं किंतु कुछ होता नहीं। यह क्रम आखिर कब तक..?

दहेज कानून का दुरूपयोग और पुरूष उत्पीड़न

–रोहित माहेश्वरी–

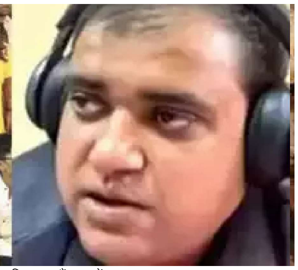

दहेज प्रथा हमारे समाज की एक पुरानी परंपरा है, जिसने समय के साथ कई रूप धारण किए हैं। पहले, यह एक ऐसी प्रथा थी जिसमें वर पक्ष को विवाह के समय वधू के परिजनों से आर्थिक, भौतिक या अन्य प्रकार की सहायता प्राप्त होती थी। इसे एक सामाजिक कर्तव्य के रूप में देखा जाता था, लेकिन आज यह प्रथा एक गंभीर समस्या बन गई है। आजकल, दहेज कानून का दुरुपयोग महिलाओं के लिए एक बड़ा हथियार बन गया है। यह एक ऐसा विषय है जिसने समाज को दो हिस्सों में बांट दिया है। एक ओर, जहां दहेज के कारण कई महिलाएं अपने जीवन को संकट में डाल देती हैं, वहीं दूसरी ओर, कई पुरुष इस प्रथा के झूठे मामलों में फंसकर अपनी जान तक गंवा देते हैं।

ताजा प्रकरण बेंगलुरु के एआई इंजीनियर अतुल सुभाष की खुदकुशी का है। अतुल की खुदकुशी से सोशल मीडिया पर जबरदस्त आक्रोश है। सुभाष ने पत्नी के कथित उत्पीड़न से आजिज आकर जान दे दी। उनके खिलाफ पत्नी ने दहेज उत्पीड़न, हत्या समेत 9 केस दर्ज करा रखे थे। सुभाष ने खुद को बेगुनाह बताते हुए 24 पन्ने का सुसाइड नोट और 80 मिनट के रिकॉर्डेड वीडियो संदेश में पत्नी के अत्याचारों को बयां किया था। उनका लिखा नोट और वीडियो के क्लिप सोशल मीडिया पर वायरल हैं।

संयोग से जिस दिन 11 दिसम्बर को वीडियो क्लिप सोशल मीडिया पर वायरल हुआ उसी दिन सुप्रीम कोर्ट ने दहेज उत्पीड़न से जुड़े कानून पर चिंता जताते हुए कहा कि ऐसे मामलों की सुनवाई में अदालतों को सावधानी बरतनी चाहिए। पति के सगे–संबंधियों को फंसाने की प्रवृत्ति को देखते हुए निर्दोष परिवार के सदस्यों को अनावश्यक परेशानी से बचाना चाहिए। जस्टिस बी. वी. नागरत्ना और जस्टिस एन. कोटिश्वर सिंह की बेंच ने कहा कि वैवाहिक विवाद से पैदा हुए आपराधिक मामले में परिवार के सदस्यों की सक्रिय भागीदारी को इंगित करने वाले विशिष्ट आरोपों के बिना उनके नाम का जिक्र शुरू में ही रोक दिया जाना चाहिए।

देश में महिलाओं को संरक्षण व सुरक्षा देने के लिए हमारे यहां कई कानूनी प्रावधान किए गए हैं। इसमें संदेह नहीं कि ये कानूनी सुरक्षा कवच महिलाओं को सशक्त बनाने में अहम भूमिका निभाते हैं। लेकिन जब ऐसे ही किसी सुरक्षा कवच का दुरुपयोग होता दिखे तो चिंता होना स्वाभाविक है। बेंगलूरु के एक आईटी पेशेवर की आत्महत्या से जुड़ा मामला इन दिनों चर्चा में है क्योंकि उसने जो सुसाइड नोट छोड़ा है, उसमें अपनी अलग रह रही पत्नी के साथ–साथ ससुराल वालों पर कई गंभीर आरोप लगाए हैं।

इस प्रकरण के बीच ही दो दिन पहले सुप्रीम कोर्ट ने एक मामले की सुनवाई के दौरान कहा कि अदालतों को दहेज उत्पीड़न के मामलों में कानून के दुरुपयोग को रोकने के लिए सावधानी बरतनी चाहिए। यह भी देखना चाहिए कि कहीं इसकी आड़ में पति के रिश्तेदारों को फंसाया तो नहीं जा रहा। शीर्ष अदालत ने साथ ही यह भी जोड़ा कि घरेलू विवाद में कई बार पति के परिवार के सभी सदस्यों को फंसाने की कोशिश की जाती है।

हालांकि दहेज प्रताड़ना को गैर जमानती अपराध बनाने का मकसद प्रताड़ित महिलाओं को सुरक्षा प्रदान करना रहा है। इसीलिए पूर्ववर्ती आईपीसी की धारा 498–ए (अब भारतीय न्याय संहिता–2023 की धारा 85 और 86) में इस अपराध के लिए सजा का प्रावधान है। लेकिन इस कानूनी प्रावधान के दुरुपयोग को देखते हुए वर्ष 2010 में भी सुप्रीम कोर्ट ने इसमें बदलाव की जरूरत की बात कही थी।

दुरुपयोग के बढ़ते मामलों के बीच सच यह भी है कि बड़ी संख्या में दहेज प्रताड़ना की शिकार महिलाओं को कानूनी प्रावधानों की वजह से न केवल न्याय मिला है बल्कि दहेज लोलुपों को सजा भी दी गई है। लेकिन कड़वी सच्चाई यह भी है कि दहेज के झूठे मामलों के कारण कई निर्दोष व्यक्तियों व उनके परिवारों को लंबे समय तक प्रताड़ना व सजा तक झेलनी पड़ती है। वे न केवल मानसिक प्रताड़ना का शिकार होते हैं बल्कि सामाजिक रूप से भी अलग–थलग हो जाते हैं। यों तो दहेज के झूठे मामले दर्ज कराने पर भी सजा का प्रावधान है, लेकिन कई कानूनी अड़चनों के बीच ऐसे मामले भी पीड़ित पक्ष को तोड़कर रख देते हैं।

कानून के जानकार मानते हैं कि सुप्रीम कोर्ट के तमाम जो फैसले आए, उसमें यह कहा गया कि महिलाएं इस कानून का दुरुपयोग कर रही हैं। इस मामले में पति और पति के सारे रिश्तेदारों को जो वहां मौजूद नहीं हैं, उनको भी फंसाया जा रहा है। जिसकी वजह से झूठे मुकदमों का उनको सामना करना पड़ रहा है। सुप्रीम कोर्ट ने ऐसे ही एक मामले में टिप्पणी की थी कि जहां शादीशुदा जोड़ा रहता है, वहां अगर परिवार के अन्य सदस्य रहते हैं तो उनके खिलाफ मुकदमा दायर होने से पहले जांच होगी। अगर मुकदमा दायर भी हो गया तो गिरफ्तारी से पहले इसको लेकर संबद्ध संस्थाओं से मंजूरी लेनी पड़ेगी।

अदालत भी अब मान रही है कि जो कानून महिलाओं की रक्षा के लिए बना था, उसका अब ज्यादातर इस्तेमाल गलत तरीके से किया जा रहा है। ऐसे में यह कानूनी रूप से ही सही नहीं है बल्कि इसकी वजह से परिवारों का विघटन भी हो रहा है। अब इस कानून में बदलाव की जरूरत है। अगर लिंग तटस्थ कानून (जेंडर न्यूट्रल लॉ) बनता है तो इससे यह फायदा होगा कि इसमें यह साफ हो पाएगा कि हर जगह केवल महिला ही उत्पीड़न की शिकार नहीं हो रही हैं, बल्कि पुरुष भी इसका शिकार हो रहे हैं। अगर जेंडर न्यूट्रल लॉ इसको लेकर बनाएंगे तो समानता का जो अधिकार है, उसका सही से पालन होगा। इसके लिए सुप्रीम कोर्ट के साथ ही कानून बनाने वालों को भी आगे आना चाहिए ताकि सबके लिए न्याय सुनिश्चित हो सके।

दरअसल, ऐसे मामलों में सबसे मजबूत भूमिका पुलिस जांच व बाद में न्यायपालिका की रहती आई है। लेकिन कुछ ऐसे मामलों में पुलिस और न्यायपालिका तक पर उंगलियां उठने से नहीं चूकती। न्यायपालिका, सरकार और समाज सबको मिलकर इस समस्या के समाधान की राह तलाशनी होगी। यह समझना ही होगा कि कानून का दुरुपयोग निर्दोष लोगों को कष्ट तो देता ही है, वास्तविक पीड़ितों के लिए न्याय की राह भी मुश्किल करने वाला होता है। कानूनों को सही उद्देश्यों की पूर्ति में सक्षम बनाना और पात्र व्यक्ति को न्याय देना ही सबकी प्राथमिकता होनी चाहिए।

अब तो सोशल मीडिया पर भी इस तरह के कानून में बदलाव को लेकर बहस छिड़ गई है। वहीं, आम लोग भी इसको लेकर अपनी राय रख रहे हैं और सीधे तौर पर उनकी भी शिकायत यही है कि ऐसे कानून जो केवल एक पक्ष की बातों पर गौर कर फैसले के करीब तक पहुंच जाते हैं, उसमें बदलाव की जरूरत है। ऐसे कानून में बदलाव के लिए इसमें लिंग के आधार पर भेदभाव को समाप्त कर इसे सबके लिए सुलभ बनाना होगा। ताकि सबको समान रूप से इस कानून के तहत न्याय मिले और इसके जरिए स्त्री हो या पुरुष सभी न्याय प्राप्त कर सकें। सरकार को इस दिशा में गंभीरता से विचार करने की जरूरत है।

कानून किसी को न्याय देने के लिए बनाया जाता है, अगर वहीं कानून घर उजाड़ने और समय से पहले जिंदगियां निगलने लगे तो उस पर विचार करना लाजिमी हो जाता है।

कैंसर के खिलाफ रूसी टीके से जगी उम्मीदें

–डॉ. संजय वर्मा–

करीब दो साल से यूक्रेन से युद्ध में उलझे रूस से यह खबर मिलना हर किसी को विस्मित कर सकता है कि उसने कैंसर जैसे गंभीर मर्ज के खिलाफ एक टीका (वैक्सीन) विकसित कर लिया है। इसका ऐलान खुद रूस के स्वास्थ्य मंत्रालय के रेडियोलॉजी मेडिकल रिसर्च सेंटर ने किया है। रूस के सरकारी मीडिया से मिली इस खबर के आरपार जाएं, तो सवाल उठ सकता है कि आखिर यह टीका कितना असरदार है। इसकी असली परीक्षा तभी होगी, जब बाकी दुनिया को इसके परीक्षण का मौका मिलेगा। लेकिन फिलहाल के दावे के मुताबिक वर्ष 2025 से यह टीका सभी रूसी नागरिकों के लिए मुफ्त में उपलब्ध हो जाएगा।

यह देखते हुए कि भारत समेत पूरी दुनिया को लंबे अरसे तक तकरीबन लाइलाज मानी जाती रही और फिर काफी जटिल चिकित्सा के सहारे कुछ हद तक इससे मुक्ति मिलने लगी है, यहां पहला सवाल टीके की विश्वसनीयता का ही उठ सकता है। एक तरफ जहां हमारे देश में पूर्व क्रिकेटर नवजोत सिंह सिद्धू हाल में अपनी पत्नी का भोजन बदलकर प्रभावी आयुर्वेदिक इलाज का दावा कर चुके हैं, लोग पूछ सकते हैं कि क्या रूसी टीका इतना भरोसेमंद होगा कि अगर वह यहां उपलब्ध हुआ, तो आंख मूंदकर लगवा लिया जाए।

इस संदर्भ में एक उदाहरण देना प्रासंगिक होगा। कोविड–19 महामारी के तेज वैश्विक प्रसार के दौरान रूस ने वैक्सीन–स्पुतनिक वी का निर्माण किया था, तो खुद सबसे पहले राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने यह टीका लगवाया था। हो सकता है कि इस बार भी पुतिन कुछ ऐसा ही करिश्मा करें और तब दुनिया इस पर यकीन करने लगे कि असाध्य कहलाने की श्रेणी में आने वाली कैंसर नामक बीमारी का आसान तोड़ आखिरकार मिल ही गया है। वैसे यहां उल्लेखनीय यह है कि एक शोध समाचार वेबसाइट– 'द साइंटिस्ट' के मुताबिक करीब डेढ़ दशक पहले न्यूयॉर्क स्थित एक बायोटेक कंपनी ने अप्रैल, 2008 में घोषणा कर दी थी कि उसे रूस में पहली चिकित्सकीय कैंसर वैक्सीन बनाने के लिए मंजूरी मिल गई है। इसे किसी देश के कैंसर रोकथाम नियामक द्वारा दी गई पहली मंजूरी माना गया था। हालांकि, बाद के दो दशकीय अंतराल में यह नहीं पता चला कि कैंसर टीके के विकास के काम का क्या हुआ। लेकिन इसी साल फरवरी, 2024 में मॉस्को फोरम ऑन फ्यूचर टेक्नोलॉजी प्रोग्राम के दौरान रूसी राष्ट्रपति पुतिन ने आश्वासन दिया था कि उनके वैज्ञानिक जल्दी ही दुनिया को कैंसर का टीका उपलब्ध करा देंगे। हालांकि अभी यह साफ नहीं है कि ये टीके रूस के बाहर कब से मिलेंगे और कैंसर के किन प्रकारों की रोकथाम करेंगे।

जहां तक इस टीके के निर्माण की प्रक्रिया (बनावट) की बात है, तो यह एमआरएनए (यह एक अणु है जो डीएनए से विशिष्ट निर्देश प्राप्त करता है) किस्म की वैक्सीन है। असल में, इस किस्म के पारंपरिक टीके बनाने में बीमारी की रोकथाम के लिए उसी वायरस या मर्ज के रोगाणुओं का इस्तेमाल किया जाता है, जिससे खुद वह बीमारी पैदा होती है। अंतर सिर्फ यह है कि ऐसा करते वक्त कैंसर कोशिकाओं की सतह से उन हानिरहित प्रोटीन को उठाकर अलग किया जाता है, जिन्हें एंटीजन के रूप में जाना जाता है। ये एंटीजन टीके के निर्माण की प्रक्रिया में चिकित्सकीय परीक्षण (क्लिनिकल ट्रायल) के दौरान इंसानी शरीर में प्रविष्ट कराए जाते हैं और तब इनके सहारे बीमारी के खिलाफ कारगर एंटीबॉडी विकसित करने हेतु शरीर की प्रतिरक्षा प्रणाली को उत्तेजित किया जाता है। एमआरएनए टीके में संदेशवाहक की भूमिका में आए आरएनए के एक छोटे टुकड़े का उपयोग किया जाता है, जिससे शरीर की कोशिकाओं को कैंसर कोशिकाओं से संबंधित एक विशिष्ट प्रोटीन का उत्पादन करने का निर्देश मिलता है। याद रहे कि कोविड महामारी से लड़ने के लिए दुनिया में लाई गई वैक्सीन कोविशील्ड इसी किस्म का टीका था।

वैसे, कैंसर से बचाव और रोकथाम की दिशा में टीका बनाने की कोशिश करने वाले देश के रूप में रूस अकेला नहीं है। ब्रिटेन और जर्मनी समेत कई अन्य देशों में बायोटेक कंपनियां कैंसर के खिलाफ कारगर दवाएं और टीके विकसित करने में जी–जान से लगी हुई हैं। जैसे ब्रिटिश सरकार जर्मनी की मशहूर फार्मा कंपनी बायोनटेक के साथ मिलकर कैंसर के उपचार के लिए वैक्सीन का क्लिनिकल ट्रायल कर रही है। उम्मीद है कि वर्ष 2030 तक करीब 10 हजार कैंसर मरीज लाभान्वित हो सकते हैं। उधर अमेरिका की मॉडर्ना और मर्क फार्मा कंपनी त्वचा कैंसर की एक प्रायोगिक वैक्सीन पर काम कर रही हैं, जिसके शुरुआती नतीजे सकारात्मक बताए जा रहे हैं। अध्ययन से जुड़े दावों के मुताबिक इस टीके ने तीन साल के इलाज के बाद त्वचा कैंसर के एक घातक रूप दृ मेलेनोमा के कारण होने वाली मौतों की आशंका को घटाकर आधा कर दिया है। इन टीकों के अलावा छह अन्य कैंसर टीकों पर भी काम चल रहा है जो ह्यूमन पैपिलोमा वायरस (एचपीवी) की रोकथाम कर सकते हैं। ये टीके वायरस सर्विकल (गर्भाशय) कैंसर समेत कुछ अन्य प्रकार के कैंसर रोगों से बचाव कर सकते हैं।

एक और उदाहरण कैंसर की एओएच1996 नामक दवा के मानव परीक्षण (इंसानी ट्रायल) का है, जो पिछले साल सितंबर, 2023 से अमेरिका में शुरू किया गया है। इस दवा का नाम 1996 में जन्मी लड़की आना ओलिविया हीली से प्रेरित है, जिसे न्यूरोब्लास्टोमा नाम का बच्चों को होने वाला कैंसर था और इसी से 2005 में नौ साल की उम्र में उसकी मौत हो गई थी। पेट, छाती और गले की हड्डियों में होने वाले कैंसर से बचाव और रोकथाम में मददगार इस दवा का नाम ओलिविया को श्रद्धांजलि के रूप में रखा गया है।

बीच बहस में भारतीय संविधान

–बलबीर पुंज–

संसद में संविधान की 75वीं वर्षगांठ पर चर्चा हुई। इस दौरान नेता विपक्ष और कांग्रेस के शीर्ष नेता राहुल गांधी ने हिंदू समाज को फिर से निशाने पर ले लिया। उन्होंने एक हाथ में संविधान और दूसरे में हिंदुओं के प्राचीन ग्रंथ 'मनुस्मृति' की प्रति को पकड़ते हुए कहा देश 'मनुस्मृति' से नहीं चल सकता। यह ठीक है कि संविधान को खतरा है, परंतु क्या यह 'मनुस्मृति' से है? भारतीय संविधान जिन मूल्यों पर स्थापित है, वह देश की सनातन संस्कृति से प्रेरित जीवन मूल्यों बहुलतावाद, लोकतंत्र, सह–अस्तित्व और सैकुलरवाद पर आधारित है। इन तत्वों का लाभ देश के सामाजिक–राजनीतिक जीवन में सभी को समान मिले, उसकी व्यवस्था करने का दायित्व कार्यपालिका, विधायिका और न्यायपालिका पर है। संक्षेप में कहें, तो भारतीय संविधान और उसमें समाहित मूल्यों की सुरक्षा की एकमात्र गारंटी स्वतंत्र भारत का हिंदू चरित्र ही है।

राहुल ने जिस 'मनुस्मृति' को कलंकित करने का प्रयास किया, वह कालजयी सनातन सभ्यता का हिस्सा जरूर है, परंतु यह शाश्वत नहीं है। सनातन का अर्थ है–चिर पुरातन, नित्य नूतन। कालातीत हिंदू समाज ने समय के अनुसार स्वयं को बदला और अपने जीवनमूल्यों–बहुलतावाद, लोकतंत्र और पंथनिरपेक्षता की छाया में ढाला है। स्वयं गांधीजी ने इस विषय पर 4 मई 1928 को एक पत्र लिखते हुए कहा था ''...मैं मनुस्मृति को बुरा नहीं मानता।'' उसमें काफी कुछ प्रशंसनीय है... उसमें कुछ बुरा भी है। सुधारक को अच्छी चीजें ले लेनी चाहिएं और बुरी चीजें छोड़ देनी चाहिएं।'' यह उन्हीं गांधीजी के विचार हैं, जिन्होंने सिख गुरुओं की परंपरा से लेकर स्वामी विवेकानंद, दयानंद सरस्वती, वीर सावरकर, डा. अंबेडकर, डा.हेडगेवार आदि सहित कभी भी अस्पृश्यता जैसी सामाजिक कुरीतियों का समर्थन नहीं किया और इन्हीं महापुरुषों की स्वतंत्र भारत में संविधान निर्धारित आरक्षण व्यवस्था के पीछे बहुत बड़ी प्रेरणा रही है।

अक्सर, 'मनुस्मृति' के बहाने अस्पृश्यता रूपी सामाजिक कुरीतियों के लिए 'ब्राह्मणवाद' को कटघरे में खड़ा किया जाता है। परंतु संविधान–निर्माता डॉ. भीमराव अंबेडकर ने छुआछूत के लिए कभी ब्राह्मण समाज को कलंकित नहीं किया, जैसा आज स्वयंभू अंबेडकरवादी, स्वघोषित गांधीवादी या वामपंथी करते हैं। अपनी रचना में डा. अंबेडकर ने लिखा था ''मैं स्पष्ट करना चाहता हूं कि मनु ने जाति कानून नहीं बनाया... यह वर्ण–व्यवस्था मनु से बहुत पहले से अस्तित्व में थी।'' उन्होंने इसके लिए ब्राह्मणों को कोई दोष नहीं देते हुए लिखा, ''ब्राह्मण कई दूसरी चीजों के दोषी हो सकते हैं... किंतु गैर–ब्राह्मण'' आबादी को जाति–व्यवस्था में बांधना उनके स्वभाव के प्रतिकूल था।

वामपंथी, जिहादी और सैकुलरवादी गुट वर्षों से 'सामाजिक अन्यायों' की बात तो करते है, लेकिन उनका असली मकसद इनका समाधान करना नहीं, बल्कि समाज में जातीय संघर्ष को बनाए रखना होता है। इस्लाम के नाम पर जब भारत विभाजित हुआ, तब पाकिस्तान ने शरीयत आधारित वैचारिक अधिष्ठान को अपनी व्यवस्था का आधार बनाया, जिसे 'काफिर–कुफ्र–शिर्क' अवधारणा से प्रेरणा मिलती है। यही कारण है कि वहां हिंदू–सिख आबादी 1947 में 15–16 प्रतिशत से घटकर आज डेढ़ प्रतिशत रह गई है, शिया–सुन्नी–अहमदिया आदि इस्लामी संप्रदायों में खूनी टकराव है। यही हाल बांग्लादेश का भी है, जहां उदारवादी सरकार के हालिया तख्तापलट के बाद इस्लामी कट्टरपंथियों द्वारा चुन–चुनकर हिंदुओं को निशाना बनाया जा रहा है। मुस्लिम बहुल कश्मीर में भी साढ़े 3 दशक पहले इसका भयावह रूप दिख चुका है।

ऐसा क्यों हुआ, उसका कारण डा. अंबेडकर ने अपनी किताब 'पाकिस्तान ऑर पार्टिशन ऑफ इंडिया' में बताते हुए लिखा था, ''इस्लाम का बंधुत्व मानवता का सार्वभौमिक बंधुत्व नहीं है। यह केवल मुसलमानों के लिए मुसलमानों का बंधुत्व है... जो इस समुदाय से बाहर हैं, उनके लिए केवल तिरस्कार और शत्रुता है। इस्लाम कभी किसी सच्चे मुसलमान को यह अनुमति नहीं देता कि वह भारत को अपनी मातृभूमि माने और किसी हिंदू को अपना आत्मीय बंधु समझे।'' अन्य गैर–मुस्लिमों की भांति दलित भी इस्लाम में 'काफिर' है, जिनकी नियति भी पहले से निर्धारित है। सही मायनों में यदि देश के संविधान पर कभी खतरा आया था, तो वह 1975–77 का आपातकाल था, जिसे तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने अपनी कुर्सी बचाने के लिए देश पर थोप दिया था। कांग्रेस इन दिनों न्यायपालिका के विवेक और निष्पक्षता पर भी सवाल उठा रही है। उन्हें 1970–80 का दौर याद करना चाहिए। वर्ष 1968 में कांग्रेस ने बहरूल इस्लाम को दूसरी बार सांसद बनाकर राज्यसभा भेजा था, जिन्होंने 1972 में राज्यसभा से इस्तीफा दे दिया और उन्हें गुवाहाटी उच्च न्यायालय का न्यायाधीश बना दिया गया। वहां से सेवानिवृत्त होने के बाद उन्हें अभूतपूर्व तरीके से 1980 में पुनरू सर्वोच्च न्यायालय में न्यायाधीश नियुक्त कर दिया गया। 1983 में शीर्ष अदालत से त्यागपत्र देने के बाद इस्लाम को कांग्रेस ने फिर से तीसरी बार राज्यसभा भेज दिया।

राहुल गांधी सहित वाम–जिहादी–सैकुलर जमात द्वारा संविधान को केवल सनातन संस्कृति या मनुस्मृति से ही खतरा बताना, किसी कपटी मुनीम द्वारा 'रैड हेरिंग' करने जैसा है। 'रैड हेरिंग' अंग्रेजी लेखा–जोखा में इस्तेमाल होने वाला जुमला है, जो एक खास धोखे का प्रतीक है। इसमें जानबूझकर बहीखाते में छोटी गड़बड़ी को दर्शाया जाता है, ताकि जांचकर्ताओं का ध्यान किसी बड़े घपले से भटकाया जा सके। ऐसा ही 'मनुस्मृति' के साथ भी किया जाता है, जिससे जनता का ध्यान उन जहरीली विचारधाराओं और ताकतों से भटक जाए, जिनसे भारत के अस्तित्व, पहचान, संविधान और उसमें प्रदत्त जीवनमूल्यों को सर्वाधिक खतरा है।

पोस्टमार्टम के बाद शव को हाईवे पर रख परिजनों ने लगाया जाम

संवाददाता—महराजगंज। ठूठीबारी कोतवाली क्षेत्र के बोदना गांव में महिला की मौत के मामले में गुरुवार को परिजनों ने पोस्टमार्टम के बाद शहर के फरेंदा रोड पर बैंक आफ बड़ौदा के समीप हाईवे को जाम कर दिया। शव को सड़क पर रख प्रकरण में दोषियों की गिरफ्तारी की मांग करने लगे। जाम की सूचना पर कोतवाली पुलिस मौके पर पहुंची। सीओ सदर आभा सिंह ने परिजनों को समझा कर जाम को समाप्त कराया। प्रकरण की जांच कराकर कार्रवाई का आश्वासन दीं।

बोदना गांव में बीते 12 दिसंबर की रात पूनम पत्नी सुमंत साहनी बच्चों के साथ सोई हुई थी। माता—पिता भी घर पर सोए थे। अगले दिन सुबह बच्चे उठे तो पूनम को ना देख रोने—बिलखने लगे। परिजनों के काफी तलाश के बाद पूनम का पता नहीं चला। बुधवार को गांव के पोखरे में उसका शव मिला। इससे परिजन बदहवास हो गए। पुलिस मौके पर पहुंची। शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। उस समय भी परिजन पुलिस कर्मियों से उलझ गए थे। उनका कहना था कि पुरानी मुकदमा के रंजिश को लेकर गांव के एक परिवार के लोगों ने पूनम को अगवा कर हत्या के बाद शव को पोखरे में फेंक दिया।

महराजगंज के फरेंदा रोड पर शव के साथ जाम के बाद परिजन शव लेकर घर के लिए रवाना हुए। ठूठीबारी रोड पर नौवाबारी के समीप गांव की तरफ मुड़ने के बजाय परिजन शव लेकर कोतवाली की ओर जाने लगे। इस पर पुलिस ने उन्हें रोक दिया। मौके पर निचलौल, सिन्दुरिया, बरगदवा, ठूठीबारी थाना क पुलिस के अलावा पीएसी भी पहुंची। एसडीएम शैलेन्द्र गौतम व सीओ अनुज कुमार सिंह भी मौके पर पहुंच परिजनों को समझाने लगे। परिजनों का आरोप था कि महिला के लापता होने के बाद ठूठीबारी पुलिस को सूचना दी गई थी, लेकिन पुलिस जांच—पड़ताल करने के बजाय महिला के घर छोड़ कर जाने की बात कह मामले को टरका दिया। परिजनों का कहना है कि पुलिस अगर सक्रिय होकर गंभीरता पूर्वक प्रार्थना पत्र पर जांच की होती तो शायद यह घटना नहीं हुई होती। सीओ के आश्वासन पर जाकर लोग माने। अंतिम संस्कार की तैयारी में जुट गए। अनुज कुमार सिंह, सीओ ने कहा कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद कार्रवाई की जाएगी। जांच में जो भी दोषी मिलेगा, उसके खिलाफ कड़ी कार्रवाई होगी।

संदिग्ध परिस्थितियों में विवाहिता की मौत मायके वालों ने लगाया हत्या का आरोप

संवाददाता—कुशीनगर। तमकुहीराज के डिबनी बंजरवा चौकी क्षेत्र के परसौनी बुजुर्ग गांव के कुशवाहा टोले में बुधवार की रात एक विवाहिता की संदिग्ध परिस्थितियों में मृत्यु हो गई। मृतका के मायके वालों ने ससुरालियों पर हत्या का आरोप लगा पुलिस को तहरीर दी है। पुलिस मुकदमा दर्ज कर अग्रिम कार्रवाई में जुटी है। पड़ोसी प्रांत बिहार के गोपालगंज जिले के गोपालपुर थाना के बोधा छापर निवासी जीउत भगत ने अपनी पुत्री 25 वर्षीय आरती की शादी तीन वर्ष पूर्व उक्त गांव के गोविंद कुशवाहा से की थी। पति गोविंद जेसीबी का चालक है। मृतका के पिता ने तहरीर में लिखा है कि गोविंद को नशे की लत थी और आए दिन वह उसकी पुत्री से मारपीट करता रहता था। मृतका की सास भी झगड़ा करती रहती थी। घर बनवाने व लोन पर खरीदी बाइक की किश्त जमा करने के नाम पर आए दिन पैसे की मांग करता रहता था। घटना के दिन रात आठ बजे तक उसकी पुत्री ने मायके में फोन पर बातचीत किया और 11 बजे रात को सूचना मिली कि उसकी मृत्यु हो गई। सूचना मिलते ही वह घटना स्थल पर पहुंचे और पुलिस को तहरीर दी। पुलिस ससुर राजवंशी को हिरासत में लेकर पूछताछ कर रही है। जबकि पति गोविंद, सास अलगी देवी व ननद निर्मला हैं। प्रभारी निरीक्षक अमित शर्मा ने कहा कि शव को पोस्टमार्टम ने भेजा गया है। रिपोर्ट आने पर ही मृत्यु के कारण का पता चल सकेगा। ससुर को हिरासत में ले लिया गया है। बाकी की तलाश जारी है। जल्दी ही मामले का पर्दाफाश हो जाएगा।

हत्या के विरोध में वकीलों की हड़ताल

संवाददाता—गोण्डा। संभल में दिनदहाड़े वकील की हत्या के विरोध में अधिवक्ताओं ने राज्यपाल को संबोधित तीन सूत्रीय ज्ञापन डीएम को सौंपा। इसमें अधिवक्ता के हत्यारे की गिरफ्तारी तथा मृतक के परिजनों को मुआवजा दिलाए जाने की मांग की है। घटना के विरोध में वकीलों ने कलमबंद हड़ताल कर अपना आक्रोश जताया। गुरुवार को बार एसोसिएशन अध्यक्ष राम बुझारथ द्विवेदी व महामंत्री संजय कुमार सिंह तथा सिविल बार एसोसिएशन अध्यक्ष सुरेंद्र मिश्रा तथा महामंत्री मनोज कुमार मिश्रा के संयुक्त नेतृत्व में संभल के वकील की दिनदहाड़े की गई हत्या के विरोध में आपात बैठक हुई। इसमें आक्रोशित वकीलों ने कलमबंद हड़ताल का एलान करते हुए जबरदस्त विरोध प्रदर्शन किया। इसके बाद मुख्यमंत्री को संबोधित तीन सूत्रीय ज्ञापन डीएम नेहा शर्मा को दिया। जिसमें मृतक आश्रित को पचास लाख मुआवजा दिलाने, हत्यारोपी की गिरफ्तारी की मांग शामिल है। इस मौके पर विनय मिश्रा, गिरवर चतुर्वेदी, राजेश कुमार ओझा,भगवती प्रसाद पाण्डेय, माधवराज मिश्रा, रवि चंद्र त्रिपाठी, दीनानाथ त्रिपाठी, विंदेश्वरी प्रसाद दूबे, आलोक कुमार पाण्डेय, रामफेर प्रजापति, अनिल कुमार सिंह, उमाकांत श्रीवास्तव,अवधेश शुक्ला, देवेश प्रताप सिंह आदि मौजूद रहे।

बिहार जा रही शराब से भरी कार ट्रैक्टर—ट्राली से टकराई, चालक की मौत

संवाददाता—देवरिया। जिले के सलेमपुर कोतवाली क्षेत्र में गुरुवार की भोर में हुए हादसे में एक कार चालक की मौत हो गई। कार में 52 पेटी अंग्रेजी शराब भरी हुई थी। बताया जा रहा है कि शराब तस्करी के लिए बिहार भेजी जा रही थी। हादसा सलेमपुर—देवरिया मार्ग पर गन्ना लदी ट्रैक्टर ट्राली से टकराने के चलते हुआ। पंचर हो जाने के कारण ट्रैक्टर ट्राली सड़क पर खड़ी थी, जिससे तेज रफ्तार कार पीछे से जा टकराई। कार चालक की पहचान नहीं हो सकी है। शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज पुलिस छानबीन में जुटी है। देवरिया के तरफ से एक क्रेटा कार 52 पेटी अवैध अंगेजी शराब लेकर बिहार तस्करी के लिए जा रही थी। वह भोर में कोतवाली सलेमपुर से महज पचास मीटर की दूरी पर खड़ी गन्ना लदी एक ट्रैक्टर ट्राली से जा टकराई। कार की स्पीड तेज होने से उसके परचख्खे उड़ गए। इस हादसे में कार चालक की दर्दनाक मौत हो गई। घटना के बाद कार में रखी ऑफिसर्स च्वाईस ब्रांड की अंगेजी शराब की 52 पेटी सड़क पर बिखर गई। हादसा के सूचना पर कोतवाली पुलिस घटना स्थल पर पहुंच कर क्षतिग्रस्त कार से चालक के शव को बाहर निकलवा कार को मुख्य मार्ग से हटवाया। पुलिस घटना की जांच में जुटी हैं। कोतवाल टी जे सिंह ने बताया कि शराब से भरी एक क्रेटा कार बिहार की थी। उसमें शराब भर कर बिहार भेजा जा रहा था। ट्रैक्टर ट्राली से टकराने के बाद कार चालक की मौत हो गई है, उसकी पहचान नहीं हो सकी है। कार से बरामद शराब को जब्त कर लिया गया है। घटना की जांच की जा रही है।

निराश्रितों एवं दीन—दुखियों को अयोध्या में बांटे जा रहे हैं कंबल

—भारतीय बस्ती संवाददाता—

अयोध्या। जनकल्याण सेवा के निमित्त मर्यादा पुरुषोत्तम प्रभु श्रीराम की पावन नगरी अयोध्या धाम में एक हजार एक सौ ग्यारह गरीब, निराश्रितों एवं दीन—दुखियों को कंबल, टोपी, दस्ताना समेत अन्य ऊनी वस्त्र बांटा गया। इसके माध्यम से वह भीषण ठंड से अपना बचाव कर सकें। गरीबों को यह कंबल, टोपी, दस्ताना वितरण कार्यक्रम महाराष्ट्र सरकार में लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री तानाजीराव सावंत साहब के सहयोग से आयोजित किया गया। उन्होंने जनकल्याण सेवा के निमित्त अपने लोगों द्वारा गरीबों में कंबल, टोपी, दस्ताना बंटवाया। जिसे अयोध्या धाम की प्रतिष्ठित पीठ बड़ी कुटिया प्रमोदवन के युवा महंत गणेश दास महाराज ने अपना सानिध्य प्रदान किया। युवा महंत के संयोजन में रामनगरी के रेलवे स्टेशन, बस स्टेशन, कुष्ठ आश्रम, वृद्धा आश्रम, सरयू तट, रामपैड़ी, लता चौक, रामघाट हाल्ट व बाईपास, हास्पिटलों समेत अन्य जगहों पर गरीब, निराश्रित, जरूरतमंद, दीन—दुखियों को ऊनी कंबल—टोपी, दस्ताना बांटा गया। इस अवसर पर लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री के गुरुदेव आचार्य पंडित सोनू तिवारी ने बताया कि उन्होंने तानाजीराव सावंत साहब के माध्यम से अयोध्यानगरी में एक हजार एक सौ ग्यारह गरीब जरूरतमंदों को कंबल, टोपी, दस्ताना वितरित किया है। यह कार्यक्रम पूरी तरह जनकल्याण सेवा के निमित्त रहा।

जिसके तहत हम लोग रात्रि के समय यहां के रेलवे स्टेशन, बस स्टेशन, कुष्ठ आश्रम, वृद्धा आश्रम, रामघाट हाल्ट, बाईपास, सरयू तट, रामपैड़ी, लता चौक आदि जगहों पर निकलते थे। वहां पर जो भी गरीब, जरूरतमंद, दीन—दुखी मिलता था। उसको कंबल, टोपी, दस्ताना वितरित करते थे। यह कार्यक्रम पिछले तीन दिनों से चल रहा था, जिसमें महाराष्ट्र सरकार के मंत्री डॉ. तानाजीराव सावंत साहब का पूर्ण योगदान रहा। इस मौके पर पंडित दिगंबर दास समेत अन्य वैदिक, पंडित मौजूद रहे।

जिस बेटी की हत्या के आरोप में पिता व भाई ने जेल काटी, वह मिली जिंदा

संवाददाता—महराजगंज। जिस गुमशुदा बेटी की हत्या के आरोप में पिता और भाई ने लगभग दो माह जेल में बिताए वह लड़की बिहार के बगहा में जिंदा मिल गई। जिन लोगों पर लड़की के अपहरण करने का आरोप था, पुलिस विवेचना में वह बरी हो चुके हैं। पुलिस और दबंगों के डर से सहमा परिवार अब भी सामने आने का साहस नहीं जुटा पा रहा। इंटरनेट मीडिया पर प्रसारित बेटी और पिता का दावा यदि सही मिला तो महराजगंज पुलिस की निरंकुश कार्यप्रणाली की गाज कइयों पुलिसकर्मियों पर गिरनी तय है। फिलहाल दैनिक जागरण वीडियो की सत्यता की पुष्टि नहीं करता है। तकरीबन डेढ़ साल पुराना यह मामला घुघली के पोखरभिंडा का है। 21 जून 2023 को यहां के संजय दुसाध की बेटी गांव के ही एक व्यक्ति के घर काम करने गई थी, लेकिन घर नहीं लौटी। पिता ने गांव के ही तीन लोगों के विरुद्ध बेटी को अगवा करने का मुकदमा दर्ज कराया। विवेचना के दौरान पुलिस को निचलौल नहर से एक लड़की का शव मिला। उसे संजय की लापता बेटी बताते हुए पुलिस ने पिता और भाई पर हत्या का आरोप तय कर दोनों को जेल भेज दिया। जिन लोगों के विरुद्ध अपहरण का मुकदमा दर्ज था, पुलिस ने उन्हें बरी कर दिया।

पुलिस की केस डायरी में इसका जिक्र है। हाई कोर्ट से जमानत पर रिहा होने के बाद पिता—पुत्र ने लड़की की तलाश शुरू की तो वह बिहार के बगहा क्षेत्र में कैलाशनगर मोहल्ले से बरामद हो गई। पिता ने बेटी के

साथ न्यायालय में उपस्थित होकर अपना और बेटी का बयान दर्ज कराया है। अधिवक्ता सोमनाथ चौरसिया का कहना है कि पुलिस ने पिता से जबरन शिनाख्त कराई। जिसका खामियाजा बेकसूर पिता—पुत्र को उठाना पड़ा। महराजगंज पुलिस अधीक्षक सोमेंद्र मीना ने बताया कि यदि ऐसा कोई प्रकरण सामने आएगा तो निश्चित रूप से इसकी जांच कराकर आवश्यक कार्रवाई की जाएगी।

घुघली थाना क्षेत्र के पोखरभिंडा गांव निवासी एक व्यक्ति व उसकी बेटी का वीडियो प्रसारित होने के बाद डेढ़ वर्ष पूर्व किशोरी के गायब होने व बाद में उसकी मृत्यु का मामला फिर चर्चा में आ गया है। किशोरी ने जिला जज के न्यायालय में शपथपत्र देकर अपने को जिंदा होने का दावा किया है। पिता ने भी इस मामले में शपथ पत्र दिया है। हालांकि सच्चाई क्या है , जब चारों सगी बहने एक साथ सामने आएंगी तभी इस राज का पर्दाफाश होगा। किशोरी के संदिग्ध परिस्थितियों में गायब होने के मामले में गांव के तीन लोग आरोपित बने थे। बाद में नहर में शव बरामद होने के बाद तीनों आरोपितों को विवेचना में बरी करते हुए बेटी के पिता व भाई को हत्यारोपित बना दिया गया।

इस मामले में पिता— पुत्र को जेल की हवा भी खानी पड़ी। पीड़िता के पिता के मुताबिक उन्होंने पोस्टमार्टम हाउस में शव की शिनाख्त से इंकार किया था, लेकिन विवेचक ने बात को अनसुनी कर दी। संजय के मुताबिक हाईकोर्ट से जमानत मिलने पर जब घर आए तो बेटी की तलाश शुरू की। इस दौरान काफी प्रयास के बाद पता चला कि पुत्री कैलाश नगर बगहा पश्चिम चम्पारण (बिहार) में है। बेटी को बिहार से लाकर 17 दिसंबर को जिला जज के न्यायालय में प्रस्तुत किया।

पीड़िता के अधिवक्ता सोमनाथ चौरसिया ने बताया कि गुमशुदगी रिपोर्ट दर्ज कराने के दौरान पिता ने अपने पुत्री की उम्र 13 वर्ष बताई थी। जबकि नहर में मिली युवती की उम्र पोस्टमार्टम रिपोर्ट में 22 वर्ष बताई गई थी। इस महत्वपूर्ण तथ्य की अनदेखी कर युवती को ही पोखरभिंडा गांव से गायब किशोरी मान लिया गया।

श्रीनायक मंदिर के पूर्वाचार्य महंत को अर्पित श्रद्धांजलि

—भारतीय बस्ती संवाददाता—

अयोध्या। सिद्ध पीठ श्रीनायक मंदिर प्रमोदवन के पूर्वाचार्य महंत स्वामी रामबचन दास महाराज को संतों ने भावभीनी श्रद्धांजलि दी। अवसर उनके पुण्यतिथि महोत्सव का रहा। जो मंदिर श्रद्धापूर्वक मनाई गई। गुरुवार को मठ में एक श्रद्धांजलि सभा का आयोजन किया गया, जिसमें रामनगरी के संत—महंतों ने पूर्वाचार्य की प्रतिमा पर श्रद्धासुमन अर्पित कर नमन किया। साथ ही साकेतवासी महंत के कृतित्व—व्यक्तित्व पर प्रकाश डाला। इस अवसर पर श्रीनायक मंदिर के वर्तमान पीठाधीश्वर श्रीमहंत मनमहेश दास ने बताया कि हर वर्ष की भांति इस वर्ष भी आश्रम में गुरुदेव रामबचन दास महाराज की पुण्यतिथि निष्ठापूर्वक मनाई गई। संतों ने उन्हें पुष्पांजलि अर्पित कर श्रद्धा से नमन किया। महाराज श्री अद्वितीय प्रतिभा के धनी संत रहे। अयोध्यानगरी के सभी संत—महंत उनका आदरपूर्वक सम्मान करते थे। वह गौ और संत सेवी रहे। जो संगीत सम्राट की उपाधि से अलंकृत थे। संगीत के क्षेत्र में उनकी टक्कर का कोई नही था। इस क्षेत्र में उन्होंने बड़े—बड़े शूरमाओं को धूल चटाई। संगीत में उनका कोई सानी नही था। इसी कारण वह संगीत सम्राट की उपाधि से विभूषित रहे। आश्रम का सर्वांगीण विकास किया। जहां वर्तमान में गौ, संत, विद्यार्थी व अतिथि सेवा सुचार रूप से चल रही है। नायक मंदिर के उत्तराधिकारी सुभाष दास उर्फ सुभाषजी ने आए संत—महंतों का स्वागत—सम्मान कर भेंट, विदाई दिया। पुण्यतिथि पर मणिरामदास छावनी के उत्तराधिकारी महंत कमलनयन दास, सिद्ध बाबा श्रीमहंत नरसिंह दास, हनुमानगढ़ी के सरपंच महंत रामकुमार दास, नागा रामलखन दास, नागा कृष्णकुमार दास, आचार्य लक्ष्मण शास्त्री, महंत लल्लन तिवारी, महंत धर्मदास, महंत उत्तम दास, महंत कमलादास रामायणी, महंत प्रियाप्रीतम शरण, महंत रामलोचन शरण, महंत अवधकिशोर शरण, महंत राकेश शरण, पूर्व पार्षद पुजारी रमेश दास, स्वामी छविराम दास, सुमित शरण, पूर्व पार्षद संजय पांडेय, रवि पांडेय आदि मौजूद रहे।

सिविल कोर्ट चुनावः 755 में से 704 ने किया मतदान

संवाददाता—महराजगंज। सिविल कोर्ट बार एसोसिएशन महाराजगंज के 2025 की कार्यकारिणी का चुनाव एल्डर्स कमेटी द्वारा नियमानुसार कराया गया। सुबह से हुए मतदान में कुल 755 सदस्यों में से 704 ने अपना मतदान किया। शुक्रवार को मतगणना कराकर परिणाम घोषित कर दिए जाएंगे। इस वर्ष की कार्यकारिणी के चुनाव में कुल 37 प्रत्याशियों ने अपना नामांकन किया है। अध्यक्ष पद के लिए करुणाकर पति त्रिपाठी, वाहिद अली, वकील प्रजापति, अनिरुद्ध प्रसाद पटेल तथा महामंत्री पद के लिए वशिष्ठ मिश्रा, संजय कुमार यादव, अनूप सिंह, प्रमोद कुमार त्रिपाठी, दिनेश चन्द मिश्र व महेंद्र शर्मा ने दावेदारी की है। कार्यकारिणी के चुनाव में वरिष्ठ व कनिष्ठ कार्यकारिणी के सदस्यगण की प्रत्याशिता निर्विरोध है। वरिष्ठ कार्यकारिणी के निर्विरोध प्रत्याशियों में कैलाश प्रसाद अग्निहोत्री, रामकिशुन, शशि भूषण गुप्त, अवनीश पटेल, अमर सिंह यादव, व अनिरुद्ध सिंह हैं। जबकि कनिष्ठ कार्यकारिणी में प्रदीप पासवान, शैलेश कुमार यादव, मोनू कुमार यादव, दुर्गेश तिवारी, अष्टभुजा, दिलीप पांडेय शामिल हैं।

सिविल कोर्ट बार एसोसिएशन महाराजगंज की कार्यकारिणी के चुनाव में अध्यक्ष, वरिष्ठ उपाध्यक्ष, कनिष्ठ उपाध्यक्ष, महामंत्री, संयुक्त मंत्री प्रकाशन, संयुक्त मंत्री प्रशासन, संयुक्त मंत्री पुस्तकालय, कोषाध्यक्ष पद के लिए मतदान हुए।

वेद मंत्रो से गूंजायमान हुई अयोध्या, श्री रामवल्लभाकुंज में चल रहा है यज्ञ

—भारतीय बस्ती संवाददाता—

अयोध्या। रामनगरी की सुप्रसिद्ध पीठ श्रीरामवल्लभाकुंज जानकीघाट के प्रांगण में चल रहे तीन दिवसीय भव्य दिव्य त्रयोदश कुंडात्मक प्रभु श्रीराम महायज्ञ में आहुति डालने का क्रम लगातार जारी है। वेदमंत्रों से पूरी अयोध्यानगरी गुंजायमान हो रही है। औरंगाबाद महाराष्ट्र से पधारे भक्तगण धार्मिक अनुष्ठान में पूरी तरह सराबोर हैं। जो भगवान श्रीराम के प्रति अपनी आस्था और श्रद्धा निवेदित कर रहे। यह महायज्ञ श्रीरामजन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के कोषाध्यक्ष एवं राष्ट्रीय संत स्वामी गोविंद देव गिरी महाराज के मार्गदर्शन में हो रहा है, जिसका शुभारंभ मणिरामदास छावनी के उत्तराधिकारी महंत कमलनयन दास महाराज ने बतौर मुख्य अतिथि किया। प्रभु श्रीराम महायज्ञ में द्वितीय दिवस गुरुवार को प्रतिष्ठित पीठ श्रीरामवल्लभाकुंज के अधिकारी स्वामी राजकुमार दास महाराज मुख्य अतिथि रूप में पहुंचे। उन्होंने अपने संबोधन में कहा कि पांच सौ वर्षों के लंबे संघर्ष बाद प्रभु श्रीराम का भव्य मंदिर बनकर तैयार हुआ। भव्य, नव्य मंदिर में हम सबके आराध्य श्रीरामलला प्रभु विराजमान हो चुके है। जो हम सबके लिए खुशी और गर्व की बात है। नव्य मंदिर में हम लोग श्रीरामलला सरकार का दर्शन कर रहे हैं। यह पावन पुनीत अवधधाम है। जहां मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्रीराम ने अवतार लेकर सबका कल्याण किया। एक आदर्श राजा, पिता, पुत्र, भाई, पति आदि के रूप में वह सभी जगह खरे उतरे। भगवान श्रीराम जैसा कोई नही है। आज सारा संसार श्रीराम का गुणगान करता है। उन्होंने पूरी दुनिया को मर्यादा का पाठ पढ़ाया। लोगों को मर्यादित जीवन जीना सिखाया। भगवान राम ने देश—दुनिया को मानवता का संदेश दिया। उन्होंने कहा कि रामनाम के विजय मंत्रों से पूरी अयोध्यानगरी गुंजायमान हो रही है। यह रामनाम का विजय मंत्र है, जिसमें भक्तजन गोता लगाने को आतुर हैं। आयोजन समिति में शामिल मुकेश तिवारी फौजी ने बताया कि विगत 18 दिसंबर से त्रयोदश कुंडात्मक प्रभु श्रीराम महायज्ञ का कार्यक्रम चल रहा। महायज्ञ का समापन 20 दिसंबर को होगा। इससे पहले महायज्ञ के मुख्य यजमान न्यायाधीश विजय कुमार पाटणुरकर ने अधिकारी राजकुमार दास समेत पधारे हुए अन्य संतों का अंगवस्त्र ओढ़ाकर स्वागत—सम्मान किया। श्रीराम महायज्ञ का कार्यक्रमध चौतन्य मूर्ति प्रधानाचार्य प्रवीण कुलकर्णी गुरुजी, आचार्य मंगेश कुलकर्णी गुरुजी व आचार्य विनायक जोशी गुरुजी,द एडवोकेट तुकाराम जोशी के कुशल दिशा—निर्देशन में चल रहा है।

एक दिन की प्रिंसिपल बनी खुशी, संभाला कामकाज

संवाददाता—महराजगंज। चोखराज तुलस्यान सरस्वती विद्या मंदिर इंटरमीडिएट कॉलेज में मिशन शक्ति के तहत 12वीं की छात्रा खुशी गुप्त एक दिन के लिए प्रिंसिपल बनी। खुशी ने शिक्षकों को आवश्यक निर्देश देते हुए स्काउट गाइड, छात्रवृत्ति आदि की समीक्षा की। विद्यालय के प्रधानाचार्य शिवाजी सिंह ने छात्रा खुशी गुप्त को स्कूल के प्रधानाचार्या की जिम्मेदारी सौंपी। खुशी ने प्रधानाचार्या का कार्यभार ग्रहण करने के बाद क्लास रूम, अध्यापक व छात्र उपस्थिति रजिस्टर का निरीक्षण किया। बच्चों की शत—प्रतिशत उपस्थिति पर जोर दिया। शिक्षकों को दिसंबर माह के अंत तक सिलेबस पूरा कराए जाने का निर्देश देते हुए रुचिपूर्ण गुणवत्तायुक्त शिक्षण के लिए कहा। बिना यूनिफार्म के पहुंचे एक छात्र को वापस घर भेजा। बच्चों को साफ सफाई के लिए प्रेरित किया। बच्चों से कहा कि शिक्षा के लिए हमेशा तत्पर रहना चाहिए। साथ ही छात्रवृत्ति के लिए आए आवेदनों की समीक्षा करते हुए स्काउट संबंधित प्रथमधद्वितीय सोपान प्रशिक्षण की अनुमति दी। इस मौके पर प्रबंध तंत्र के हरिराम भालोटिया, मनीष पांडेय, उदय प्रकाश मिश्र, धर्मेंद्र त्रिपाठी, परमानंद पांडेय, बृजेश तिवारी आदि मौजूद रहे।

शिकायतों के निस्तारण में लापरवाही पर फंसे सीआरओ

संवाददाता—गोण्डा। शासन—प्रशासन की तमाम कोशिशों के बाद भी अफसर जनशिकायतों के निस्तारण में लापरवाही बरत रहे हैं। देवीपाटन मंडल के आयुक्त शशिभूषण लाल सुशील ने गोंडा के मुख्य राजस्व अधिकारी (सीआरओ) के खिलाफ जनशिकायतों की जांच रिपोर्ट देने में हीलाहवाली पर कड़ा रुख अपनाया है। आठ मामलों की जांच सीआरओ को सौंपे जाने के बाद सिर्फ एक मामले में रिपोर्ट न मिलने पर आयुक्त खासे खफा हैं। उन्होंने सीआरओ महेश प्रकाश को 25 दिसंबर को रिपोर्ट के साथ तलब किया है। मंडलायुक्त ने सीआरओ महेश प्रकाश को लिखे पत्र में जनशिकायतों के निस्तारण में हीलाहवाली पर कड़ी नाराजगी जाहिर की है। आयुक्त की ओर से लिखे गए पत्र के मुताबक डीएम के स्तर सीआरओ नामित प्रभारी अधिकारी परिवाद हैं। बीते माह मिली शिकायतों और उन पर मिली रिपोर्ट का आयुक्त ने जायजा लिया। इसमें तमाम शिकायतकर्ता संतुष्ट नहीं मिले। पत्र के मुतबिक शिकायतकर्ता का पक्ष नहीं सुने जाने के साथ उसे जांच के परिणाम की जानकारी नहीं दी जाती है। यही नहीं मौके पर जांच न करके ग्राम के किसी भी व्यक्ति से अथवा हितबद्ध व्यक्ति से मिलीभगत करके रिपोर्ट भेज दी जाती है। जिस व्यक्ति, अफसर, कर्मचारी या संस्था के विरुद्ध शिकायत है, उसी का लिखित कथन लेकर कवरिंग लेटर लगाकर भेज दिया गया। वहीं, कूटरचित अभिलेखों के आधार पर तैयार की गई अधीनस्थ की रिपोर्ट मंगवाकर उन्हें भेज दी जाती है। आयुक्त ने बताया कि आठ मामलो में सीआरओ को जांच अधिकारी नामित किया था। लेकिन उन्होंने अब तक अपने जांच की सिर्फ एक रिपोर्ट मुहैया कराई है। मंडलायुक्त ने सीआरओ को निर्देश दिए हैं कि डीएम कार्यालय से संबंधित जनसुनवाई की समीक्षा कर अपने स्पष्ट मन्तव्य सहित रिपोर्ट जिलाधिकारी के माध्यम से 30 दिसंबर तक उपलब्ध कराएं।

आवश्यकता है स्पेशल एडुकेटर

रिक्त पद 1
पद – स्पेशल एडुकेटर
जनपद बस्ती
वर्ग – (कला वर्ग)
योग्यता –डिप्लोमा विशिष्ट B.ED
वेतन–19617/– प्रति माह
आवेदन की तिथि–20–12–2024 से 27–12–2024 तक
आवेदन का स्थान – एस जे टी एस इंटरनेशनल प्राइवेट लिमिटेड, न्यू जामडीह पाण्डेय कॉलोनी,
कैली रोड बस्ती, उत्तर प्रदेश–272001

मैं भी 24 कैरेट का ब्राह्मण हूं, प्रभात पाण्डेय के अंतिम संस्कार में नारेबाजी के बाद बोले अजय राय

संवाददाता–गोरखपुर। कांग्रेस कार्यकर्ता के अंतिम संस्कार के दौरान पहुंचे कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष अजय राय पर लोगों ने नाराजगी जाहिर की। लोगों का गुस्सा देखकर अजय राय ने कहा, मैं भी 24 कैरेट का सच्चा ब्राह्मण हूं। लखनऊ में विरोध–प्रदर्शन के दौरान 28 साल के कांग्रेस कार्यकर्ता प्रभात पांडेय की मौत के बाद उनके अंतिम संस्कार के दौरान जमकर हंगामा हुआ। प्रभात पांडेय की मौत से दुखी परिजनों और नाते–रिश्तेदारों को पता चला कि प्रदेश अध्यक्ष अजय राय भी अंतिम संस्कार वाली जगह पर पहुंच रहे हैं तो सबने विरोध शुरू कर दिया। अजय राय पर भीड़ ने जमकर नाराजगी जाहिर की। लोगों ने गुस्सा देखकर अजय राय ने भी काफी सफाई दी, लेकिन गुस्साई भीड़ ने एक न सुनी। भीड़ को शांत करने के प्रयास में राय ने अपना जनेऊ दिखाया और कहा, मैं भी ब्राह्मण हूं सच्चा 24 कैरेट का। अन्य कांग्रेस नेताओं की लगातार अपील के बाद उन्हें अनिच्छा से श्रद्धांजलि देने की अनुमति दी गई।

बुधवार को प्रभात की मौत को लेकर उठे विवाद ने राजनीतिक तनाव को और गहरा कर दिया है। शुरुआती पोस्टमार्टम रिपोर्ट में दिल का दौरा पड़ने का हवाला दिया गया है, लेकिन प्रभात के परिवार को साजिश का संदेह है। परिवार ने प्रभात की मौत की निष्पक्ष जांच की मांग की है। उसके चाचा मनीष पांडे की शिकायत के आधार पर लखनऊ के हुसैनगंज थाने में अज्ञात लोगों के खिलाफ हत्या संबंधी एफआईआर दर्ज की गई है। लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी और वरिष्ठ नेता मल्लिकार्जुन खड़गे समेत कांग्रेस नेताओं ने इस घटना की कड़ी निंदा की है। राहुल गांधी ने श्क्स्श्स पर पोस्ट किया, उत्तर प्रदेश में एक बार फिर लोकतंत्र और संविधान की हत्या हुई है। कांग्रेस के बहादुर शेर अपनी लड़ाई जारी रखेंगे।

अजय राय ने सरकार को जिम्मेदार ठहराते हुए कहा, यह मौत नहीं, बल्कि हत्या है। प्रभात ने अपने साथियों को बताया था कि पुलिस ने उसे पीटा जिससे वह बेहोश हो गया। प्रभात, जो युवा कांग्रेस के सक्रिय सदस्य था, लखनऊ में अपने चाचा के साथ रहता था और कंप्यूटर कोर्स कर रहा था। उसके चाचा मनीष पांडे ने सवाल उठाया था, अगर प्रभात कांग्रेस कार्यालय में दो घंटे तक बेहोश रहा, तो उसे पहले अस्पताल क्यों नहीं ले जाया गया? उत्तर प्रदेश विधानसभा के पास कांग्रेस के प्रदर्शन में शामिल पार्टी के कार्यकर्ता प्रभात की बुधवार को संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो गई थी। पार्टी ने रुपुलिस बर्बरताश् के कारण कार्यकर्ता की मौत होने का दावा किया है। वहीं, इस मामले में अज्ञात व्यक्ति के खिलाफ हत्या का मुकदमा दर्ज किया गया है। पुलिस अधिकारियों का कहना है कि गोरखपुर निवासी 28 वर्षीय प्रभात पांडे को कांग्रेस कार्यालय से अस्पताल में मृत अवस्था में लाया गया था।

लखनऊ में विरोध–प्रदर्शन के दौरान 28 वर्षीय कांग्रेस कार्यकर्ता प्रभात पांडे की मौत हो गई, जिनका अंतिम संस्कार गुरुवार को गोरखपुर में पैतृक गांव में कर दिया गया। इस दौरान भी काफी हंगामा हुआ। हंगामे की वजह प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष अजय राय की मौजूदगी थी। लोगों ने कहा, अजय राय वापस जाओ, हत्यारे दल वापस जाओ और राहुल गांधी मुर्दाबाद, प्रियंका गांधी मुर्दाबाद जैसे नारे लगाए जिसके बाद तनाव बढ़ने पर पुलिस को हस्तक्षेप करना पड़ा। प्रभात के पड़ोसी निखिलेश ने बताया कि प्रभात के शव को अंतिम संस्कार से पहले उसके घर लाया गया जिससे परिवार में कोहराम मच गया। उसके शोकाकुल पिता दीपक पांडे ने कहा, "यह मेरे कर्मों का फल है। मेरा इकलौता बेटा चला गया। अंतिम संस्कार स्थल पर उसकी मां बेहोश हो गईं। निखिलेश ने बताया कि जब अजय राय ने श्रद्धांजलि देने का प्रयास किया तो स्थिति और बिगड़ गई। गुस्साए ग्रामीणों ने उन पर राजनीतिक लाभ के लिए इस त्रासदी का फायदा उठाने का आरोप लगाया। प्रदर्शनकारियों ने चिल्लाते हुए कहा, यहां कोई ड्रामा नहीं" और राय को चिता के पास जाने से रोक दिया।

मनाया गया पंडित राम प्रसाद बिस्मिल का शहीदी दिवस

संवाददाता–गोरखपुर। जिला अधिवक्ता एसोसिएशन के सभागार में गुरुवार को अमर शहीद पंडित राम प्रसाद बिस्मिल का शहीदी दिवस परम्परागत ढंग से मनाया गया। एसोसिएशन के मंत्री लालमन ने बताया कि अध्यक्ष कृष्ण दामोदर पाठक द्वारा पंडित राम प्रसाद बिस्मिल के चित्र पर माल्यार्पण किया गया। अन्य अधिवक्ताओं ने भी पंडित राम प्रसाद बिस्मिल के चित्र पर पुष्पांजलि अर्पित कर उन्हें याद किया।

राम प्रसाद बिस्मिल, अशफाक उल्लाह खां एवं ठाकुर रोशन सिंह के व्यक्तित्व एवं कृतित्व पर प्रकाश डालते हुए उन्हें भारत माता का सच्चा सपूत बताया। रत्नेश्वर प्रसाद शुक्ल, सुधाकर त्रिपाठी, अम्बरीष कुमार राय, विनय कुमार चंद आदि अधिवक्ता उपस्थित रहे।

घर में फंदा लगाकर युवक ने की खुदकुशी

संवाददाता–गोरखपुर। बांसगांव के गोपालपुर में एक युवक ने गुरुवार को दोपहर बाद खुदकुशी कर ली। युवक का शव फंदे से लटकता मिला। घटना के वक्त पत्नी छत पर कोई काम कर रही थी। खुदकुशी की वजह सामने नहीं आई है। बताया जा रहा है कि युवक की मानसिक स्थिति ठीक नहीं थी, उनका इलाज चल रहा था।

बांसगांव थाना क्षेत्र के गोपालपुर गांव के सुरेंद्र सिंह के पुत्र मोहन सिंह (34) ने घर के कमरे में फंदा लगाकर जान दे दी। परिवार के लोग सहजनवां में मकान बना कर वहीं रहते थे। बताया गया कि मोहन सिंह दो भाइयों में बड़े थे और गीडा की एक प्राइवेट कंपनी में नौकरी करते थे। वे 6 वर्ष और 2 वर्ष की दो बेटियों के पिता थे। मानसिक स्थिति ठीक न रहने के कारण पिछले कुछ महीनों से उनका इलाज चल रहा था। गुरुवार अपराह्न ड्यूटी से लौट कर घर आए, उनकी पत्नी छत पर कोई काम कर रही थीं। नीचे आने पर कमरे में पति को फंदे से लटका देखकर बदहवास हो गईं और परिवार के लोगों को सूचना दी। फंदे से उतार कर मोहन सिंह को अस्पताल ले जाया गया, किन्तु रास्ते में ही उनकी मौत हो चुकी थी।

अदालती नोटिस

इत्तिलानामा बनाम रेपान्डेन्ट बावत इत्तिला तारीख मुकर्रर समायत अपील

नि0नं0– 1011/2023

अदालत– श्रीमान उप संचालक चकबन्दी महोदय बस्ती जिला–बस्ती

देवदत्त सिंह

बनाम

सुरेन्द्र सिंह

1. सुरेन्द्र सिंह पुत्र सूर्यनरायन सिंह निवासी ग्राम भिउरा तप्पा मनवरपारा परगना नगर पश्चिम तहसील हर्रैया जिला–बस्ती 2. अरविन्द सिंह पुत्र सूर्यनरायन 3. विद्यावती पत्नी देवनरायन सिंह 4. मनोज 5. प्रमोद पुत्रगण देवनरायन सिंह 6. लक्ष्मी पुत्री देवनरायन सिंह 7. हरिनरायन सिंह पुत्र रामराज सिंह 8. बृजकिशोर सिंह 9. राजकिशोर सिंह 10. नन्द किशोर सिंह 11. हरि किशोर सिंह पुत्रगण रामसुन्दर सिंह निवासीगण ग्राम भिउरा तप्पा मनवरपारा परगना नगर पश्चिम तहसील हर्रैया जिला–बस्ती

तारीख पेशी 23–12–2024

अपील बनराजी अदालत मुकाम मयरिया महीना सन् 20 ई0 रेस्पान्डेन्ट

इत्तिला दी जाती है कि अपील बनराजी डिग्री इस मुकदमें में मुसम्मी ने पेश इस अदालत में दर्ज रजिस्टर हुआ और इस अदालत व तारीख 23 महीना 12 सन 2024 ई0 वास्ते जमानत तथा अपील मुकर्रर का है। अगर खुद या आपके वकील या और शख्स जो कानूनन आपकी तरफ से अपील हाजा में जबाब सवाल करने वाजिद हो हाजिर न आयेगा तो उसकी समयात और तजबीज आपकी गैर हाजिरी में एकतरफा हो जायेगी।

आज बतारीख 19 माह 12 सन 2024 ई. मेरे दस्तखत और मुहर अदालत के हवाले किया गया।

द0 हाकिम

अदालती नोटिस

वाद के निपटारे के लिये सम्मन (आदेश 5 के नियम 1 और 5 व्या0प्र0 संहिता 1908)

मूलवाद संख्या /2021

अन्तर्गत धारा 34

न्यायालय– श्रीमान तहसीलदार स्थान–बांसी जिला– सिद्धार्थनगर

आलम

बनाम

उम्मत

मौजा कुनौना तप्पा खेसरहा परगना बांसी पूरब तहसील बांसी जिला सिद्धार्थनगर

1/1 समसुद्दीन 1/2 गयासुद्दीन 1/3 नैमुद्दीन 1/4 जमालुद्दीन 1/5 सलाहुद्दीन पुत्रगण उम्मत अली साकिनान मौजा कुनौना तप्पा खेसरहा परगनाबांसी पूरब तहसील बांसी जिला सिद्धार्थनगर

तारीख पेशी 26–12–2024

प्रतिवादी ने आपके विरुद्ध के लिये वाद संस्थित किया है। आपको इस न्यायालय में दिनांक 26.12.2024को दिन में 10 बजे वाद का उत्तर देने के लिये उपसंजात (हाजिर) होने के लिये समन किया जाता है। आप न्यायालय में स्वयं या किसी ऐसे अधिवक्ता प्लीडर द्वारा उप संजात हो सकते हैं। जिसे सम्यक अनुदेश दिये गये हों और जो बात से सम्बंधित सभी सारवान प्रश्नों का उत्तर दे सके या जिसके साथ ऐसा कोई व्यक्ति हो जो ऐसे सब प्रश्नों का उत्तर दे सके न्यायालय में आपके उप संजात के लिये जो दिन नियत किया गया है वह इस वाद के अन्तिम निपटारे के लिये नियत दिन है। इसलिये आपको उस दिन अपने उन सब साक्षियों को या उन सब दस्तावेजों को पेश करने के लिये तैयार रहना चाहिये जिन पर आप अपनी प्रतिरक्षा के लिये निर्भर रहना चाहते हैं।

आपको सूचित किया जाता है कि यदि अगर ऊपर बतायी गयी तारीख को इस न्यायालय में उपसंजात नहीं होंगे तो वाद की सुनवाई और उसका निपटारा आपकी अनुपस्थिति में किया जायेगा।

यह आज तारीख को मेरे हस्ताक्षर और न्यायालय की मुद्रा लगाकर दिया गया है।

न्यायाधीश

सूचना

सर्व साधारण को सूचित किया जाता है कि मेरे क्लाइन्ट आधार हाउसिंग फाइनेन्स लिमिटेड शाखा फैजाबाद ब्रान्च आफिस 5/17/171 प्रथम तल शक्ति नगर कालोनी देवकाली स्मार्ट बाजार के सामने फैजाबाद अयोध्या की तरफ से सूचित किया जाता है कि विन्द्रावती पत्नी करमचन्द्र भरवटिया पो0– पुरानी बस्ती लखनौरा बस्ती में एक बैनामा 510 वर्ग फीट का स्थित गाटा सं0 53 मौजा–लखनौरा तप्पा–हवेली परगना – बस्ती पूरब व जिला–बस्ती। जिसकी चौहद्दी पूरब 10 फीट कच्चा रास्ता पश्चिम – नूरजहाँ जमीन उत्तर–मकान साधना देवी दक्षिण –जमीन करमचन्द्र से क्रय कर रही है। को बन्धक रखने के लिए आवेदन किया है। यदि किसी व्यक्ति, सम्पत्ति बन्धक रखने बैंक अथवा संस्था को प्रश्नगत सम्पत्ति में आपत्ति है तो इस प्रकाशन के 7 दिन के अन्दर आपत्ति अधोहस्ताक्षरी के समक्ष प्रस्तुत कर दे अन्यथा यह मान लिया जायेगा कि किसी भी प्रकार के उपरोक्त संस्था को बंधक रखने में कोई आपत्ति नहीं है।

सचिन शंकर
एडवोकेट
शेड नं0–3 सिविल कोर्ट, फैजाबाद
मो0–8299765176

सीमांकन पत्थर उखाड़ने के विवाद में पीटा, केस दर्ज

संवाददाता–गोरखपुर। चौरीचौरा क्षेत्र के बाल बुजुर्ग निवासी रमाकांत ने पुलिस को तहरीर देकर बताया कि गाटा संख्या 244 में 0.007 हेक्टेयर भूमि में सह खातेदार है। भूमि के बगलगिर सरिता देवी ने आरजी के सेट लगे पत्थर को उखाड़ के फेंक दिया। मना करने पर भद्दी भद्दी गाली देते हुए कहा कि अधिकारियों की कोई बात वह नहीं मानती हैं। उन्हें मुकदमे में गलत फंसाने की धमकी दी गई। पुलिस अधिकारी के आधार पर आरोपी के खिलाफ केस दर्ज कर जांच कर रही है।

अदालती नोटिस

वाद के निपटारे के लिये सम्मन (आदेश 5 के नियम 1 और 5 व्या0प्र0 संहिता 1908)

मूलवाद संख्या 278/2024

न्यायालय– श्रीमान सिविल जज (जू0डि0) स्थान–बांसी जिला–सिद्धार्थनगर

सुरेन्द्र

बनाम

राजेन्द्र आदि

1. राजेन्द्र उम्र लगभग 65 साल 2. योगेन्द्र उम्र लगभग 57 साल 3. बीरेन्द्र उम्र लगभग 54 साल पुत्रगण दयाराम ग्राम व पोस्ट बनगवा तप्पा असनार परगना बांसी पूरब तहसील बांसी जिला–सिद्धार्थनगर

–प्रतिवादीगण प्रथम वर्ग

4. विजय उम्र लगभग 28 साल पुत्र राजेन्द्र सोनी ग्राम बरगदी पोस्ट डड़वाघाट तप्पा असनार परगना बांसी पूरब तहसील बांसी जिला–सिद्धार्थनगर 5. चन्द्रशेखर उर्फ आजाद उम्र लगभग 70 साल पुत्र भगौती ग्राम व पोस्ट बनगवा तप्पा असनार परगना बांसी पूरब तहसील बांसी जिला–सिद्धार्थनगर

–प्रतिवादीगण द्वितीय वर्ग

तारीख पेशी 15–01–2025

प्रतिवादी ने आपके विरुद्ध के लिये वाद संस्थित किया है। आपको इस न्यायालय में दिनांक 15.01.2025 को दिन में 10 बजे वाद का उत्तर देने के लिये उपसंजात (हाजिर) होने के लिये समन किया जाता है। आप न्यायालय में स्वयं या किसी ऐसे अधिवक्ता प्लीडर द्वारा उप संजात हो सकते हैं। जिसे सम्यक अनुदेश दिये गये हों और जो बात से सम्बंधित सभी सारवान प्रश्नों का उत्तर दे सके या जिसके साथ ऐसा कोई व्यक्ति हो जो ऐसे सब प्रश्नों का उत्तर दे सके न्यायालय में आपके उप संजात के लिये जो दिन नियत किया गया है वह इस वाद के अन्तिम निपटारे के लिये नियत दिन है। इसलिये आपको उस दिन अपने उन सब साक्षियों को या उन सब दस्तावेजों को पेश करने के लिये तैयार रहना चाहिये जिन पर आप अपनी प्रतिरक्षा के लिये निर्भर रहना चाहते हैं।

आपको सूचित किया जाता है कि यदि अगर ऊपर बतायी गयी तारीख को इस न्यायालय में उपसंजात नहीं होंगे तो वाद की सुनवाई और उसका निपटारा आपकी अनुपस्थिति में किया जायेगा।

यह आज तारीख को मेरे हस्ताक्षर और न्यायालय की मुद्रा लगाकर दिया गया है।

न्यायाधीश

बाल विकास विभाग में 223 आंगनबाड़ी कार्यकत्रियों की होगी भर्ती

संवाददाता–अम्बेडकरनगर। बाल विकास विभाग में आंगनबाड़ी कार्यकत्रियों की भर्ती होगी। भर्ती 223 पदों पर होगी। ग्रामीण और शहरी आंगनबाड़ी केंद्रों के लिए कार्यकत्रियों की भर्ती प्रक्रिया शुरू हो गई है। आवेदन सात जनवरी तक होगा। जिला कार्यक्रम अधिकारी एसके सिंह ने बताया कि भर्ती से संबंधित जानकारी यानि पदों की संख्या, पात्रता एवं आवेदन करने की प्रक्रिया विभागीय वेबसाइट से प्राप्त की जा सकती है। बताया कि जनपद के शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों में संचालित बाल विकास परियोजना में आंगनबाड़ी कार्यकत्री की मानदेय पर आधारित रिक्त पदों पर सीधी भर्ती प्रक्रिया के तहत ऑनलाइन आवेदन पत्र देना होगा। आंगनबाड़ी कार्यकत्री के क्रमशः जलालपुर के ग्रामीणशहरी में 52, कटेहरी ग्रामीण में पांच, रामनगर ग्रामीणशहरी में 22, भियांव ग्रामीण में 14, भीटी ग्रामीण में 11, अकबरपुर ग्रामीणः शहरी में 17, टांडा ग्रामीण/शहरी में 65, बसखारी ग्रामीण में 17, जहांगीरगंज ग्रामीण/शहरी में 10 और शहर में 10 पद रिक्त हैं।

अदालती नोटिस

सम्मन वास्ते करारवाद उमूर तनकीह तलब

(आर्डर 5 कायदा 1 व 5)

मूलवाद सं0–402/2024

न्यायालय–श्रीमान सिविल जज (सी0डि0) होदय बस्ती जिला–बस्ती

हंसराजी सिंह

बनाम

फतेबहादुर कहार आदि

1. फतेबहादुर कहार उम्र तख्मीनन 48 साल 2. रामकुमार उम्र तख्मीनन 38 साल 3. दुखई उम्र तख्मीनन 34 साल 4. बगेदू उम्र तख्मीनन 28 साल पुत्रगण बुद्धिराम कहार साकिनान मौजा मड़रिया तप्पा बनगवा परगना अमोढ़ा तहसील हर्रैया जिला बस्ती

–प्रतिवादीगण प्रथम वर्ग

5. विजय कुमार सिंह उम्र तख्मीनन 50 साल 6. अजय सिंह उम्र तख्मीनन 45 साल पुत्रगण रामकरन सिंह साकिनान मौजा मड़रिया तप्पा बनगवा परगना अमोढ़ा तहसील हर्रैया जिला बस्ती

–प्रतिवादीगण द्वितीय वर्ग

तारीख पेशी 07–01–2025

हरगाह ने आपके नाम नालिश बाबत के दायर की है। लिहाजा आपक 07 माह 01 सन 2025 ई0 बवक्त 10 बजे दिन असालतन या मारफत वकील के जो मुकदमें के हालत से करार वाकई वाकिफ किया गया हो और जो कुल उमूर अहम मुतल्लिका मुकदमा जवाब दे सके या जिसके साथ कोई और सख्श हो जो कि जवाब ऐसे सवालात का दे सके हाजिर हो और जवाबदेही दावा कीजिये और हरगाह वही तारीख जो आपके इजहार के लिये मुकर्रर है वास्ते इनफिसाल कत्तई मुकदमा के तजबीज हुई है और आपको लाजिम है कि उसी रोज जुमला दस्तावेज को जिनको आप अपनी जबाबदेही के तहत इस्तेमाल करना चाहते हो पेश करें।

आपको इत्तिला दी जाती है कि अगर बरोज मजकूर आप हाजिर न होंगे तो मुकदमा बगैर हाजिरी आपके मसमुआ और फैसला होगा।

बसख्त मेरे दस्तखत और मुहर अदालत के आज बतारीख माह सन 20 ई0 जारी किया गया।

–द0 हाकिम

अदालती नोटिस

सम्मन वास्ते करारवाद उमूर तनकीह तलब

(आर्डर 5 कायदा 1 व 5)

वाद सं0–T201717145303496

धारा 6A पं0राजस्व एक्ट

न्यायालय–श्रीमान उप जिलाधिकारी (न्यायिक) महोदय बस्ती जिला–बस्ती

सुधापाणि पाण्डेय

बनाम

मधु

1. मधु कथित पत्नी अरूण कुमार पाण्डेय पुत्री शारदा प्रसाद निवासी ग्राम कटरी पो0 तिलकपुर तप्पा खुरियार परगना नगर पश्चिम तहसील हर्रैया जिला–बस्ती हाल मुकाम ग्राम सिकन्दरपुर तप्पा चरकैला तहसील व जिला–बस्ती

तारीख पेशी 02–01–2025

हरगाह ने आपके नाम नालिश बाबत के दायर की है। लिहाजा आपक 02 माह 01 सन 2025 ई0 बवक्त 10 बजे दिन असालतन या मारफत वकील के जो मुकदमें के हालत से करार वाकई वाकिफ किया गया हो और जो कुल उमूर अहम मुतल्लिका मुकदमा जवाब दे सके या जिसके साथ कोई और सख्श हो जो कि जवाब ऐसे सवालात का दे सके हाजिर हो और जवाबदेही दावा कीजिये और हरगाह वही तारीख जो आपके इजहार के लिये मुकर्रर है वास्ते इनफिसाल कत्तई मुकदमा के तजबीज हुई है और आपको लाजिम है कि उसी रोज जुमला दस्तावेज को जिनको आप अपनी जबाबदेही के तहत इस्तेमाल करना चाहते हो पेश करें।

आपको इत्तिला दी जाती है कि अगर बरोज मजकूर आप हाजिर न होंगे तो मुकदमा बगैर हाजिरी आपके मसमुआ और फैसला होगा।

बसख्त मेरे दस्तखत और मुहर अदालत के आज बतारीख 19 माह 12 सन 2024 ई0 जारी किया गया।

–द0 हाकिम

अदालती नोटिस

सम्मन बनाम कायम मुकाम कानूनी मुद्दाअलेह मुतवफ्फा

(आर्डर 22, कायदा 4)

न्यायालय–श्रीमान सिविल जज (जू0डि0) महोदय बस्ती जिला–बस्ती

प्रकीर्णवाद सं0–283/2017

सावित्री देवी

बनाम

शीतला प्रसाद आदि

1/1. गोपाल उम्र 52 वर्ष 1/2 विचित्रमणि उम्र 48 वर्ष 1/3 शशिभूषण उम्र 45 वर्ष पुत्रगण स्व0 शीतला प्रसाद 1/4 श्रीमती कदमा उम्र 70 वर्ष विधवा स्व0 शीतला प्रसाद 1/ अम्बरीश उम्र 25 वर्ष पुत्र स्व0 राममणि 1/6 श्रीमती बबिता विधवा स्व0 राममणि समस्त निवासीगण ग्राम पचानू तप्पा सिकन्दरपुर परगना बस्ती पूरब तहसील भानपुर जिला–बस्ती

तारीख पेशी 17–02–2025

हरगाह मुद्दई ने एक नालिश इस अदालत में बतारीख माह सन 20 ई0 बनाम मुद्दाअलेह के रूजू की थी, जो बाद की मौत हरगाह मुद्दई मजकूर ने एक दरख्वास्त इस अदालत में गुजारी है कि आप मुतवफ्फा मजकूर का कायम मुकाम कानूनी वारिस है और चाहता है कि बजाय उसके मुद्दाअलेह बनाये जांय।

लिहाजा आपको हुक्म होता है कि बतारीख 17 माह 02 सन 2025 ई0 बवक्त 10 बजे इस अदालत में हाजिर होकर मुकदमा मजकूर जवाबदेही कीजिये और अगर आप हाजिर न होंगे तो मुकदमा वगैर हाजिरी आपके मसमूअ और फैसला होगा।

बवक्त मेरे दस्तखत और मुहर अदालत आज बतारीख माह सन 20 ई0 जारी किया गया।

द0 हाकिम

अदालती नोटिस

सम्मन बनाम कायम मुकाम कानूनी मुद्दाअलेह मुतवफ्फा

(आर्डर 22, कायदा 4)

न्यायालय–श्रीमान सिविल जज (सी0डि0) एफ0टी0सी0 महोदय बस्ती जिला–बस्ती

मूलवाद सं0–177/2022

श्रीमती शाहजहाँ खातून

बनाम

शमशाद आदि

47/1. कैफी वयस्क 47/2 शैफी वयस्क पुत्रीगण शकील 1/2/3 श्रीमती तस्लीमुन्निशाँ वयस्क पत्नी शकील निवासीगण ग्राम कन्हौली तप्पा पिलाई परगना नगर पूरब तहसील बस्ती जिला–बस्ती

तारीख पेशी 23–01–2025

हरगाह मुद्दई ने एक नालिश इस अदालत में बतारीख माह सन 20 ई0 बनाम मुद्दाअलेह के रूजू की थी, जो बाद की मौत हरगाह मुद्दई मजकूर ने एक दरख्वास्त इस अदालत में गुजारी है कि आप मुतवफ्फा मजकूर का कायम मुकाम कानूनी वारिस है और चाहता है कि बजाय उसके मुद्दाअलेह बनाये जांय।

लिहाजा आपको हुक्म होता है कि बतारीख 23 माह 01 सन 2025 ई0 बवक्त 10 बजे इस अदालत में हाजिर होकर मुकदमा मजकूर जवाबदेही कीजिये और अगर आप हाजिर न होंगे तो मुकदमा वगैर हाजिरी आपके मसमूअ और फैसला होगा।

बवक्त मेरे दस्तखत और मुहर अदालत आज बतारीख माह सन 20 ई0 जारी किया गया।

द0 हाकिम

800 मीटर दौड़ में संगीता ने मारी बाजी

युवा कल्याण विभाग ग्रामीण क्षेत्र के बच्चों में छिपी प्रतिभा निखारने का कर रही काम– अनिल दुबे

–भारतीय बस्ती संवाददाता– कुदरहा, बस्ती। कुदरहा ब्लाक के राघव रामबचन शिवा सरस्वती विद्यापीठ के परिसर में युवा कल्याण एवं प्रादेशिक विकास दल विभाग द्वारा आयोजित उत्तर प्रदेश ग्रामीण खेल लीग के तहत खंड स्तरीय खेलकूद प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। कार्यक्रम का शुभारंभ मुख्य अतिथि ब्लाक प्रमुख अनिल दुबे व विशिष्ट अतिथि भाजपा पिछड़ा मोर्चा के जिलाध्यक्ष ब्रह्मदेव यादव देव ने मां सरस्वती के चित्र पर माल्यार्पण व दीप प्रज्वलित कर किया। ब्लाक प्रमुख अनिल दुबे ने लोगों को संबोधित करते हुए कहा कि युवा कल्याण विभाग ग्रामीण क्षेत्र के बच्चों में छिपी प्रतिभा निखारने का काम कर रहा है। इसके लिए प्रदेश सरकार गांव में युवक मंगल दल का गठन कर बच्चों को खेल के प्रति जागरूक कर रही है। इस द्वारा क्षेत्र के बच्चे ब्लाक व जनपद का नाम रोशन करेंगी। विशिष्ट अतिथि भाजपा पिछड़ा मोर्चा जिलाध्यक्ष ने कहा कि पढाई के साथ ही साथ खेल अवश्य खेलना चाहिए। स्वस्थ्य शरीर में ही स्वस्थ मस्तिष्क का विकास होता है। खेल जगत में भी बच्चों का कैरियर सवर रहा है। 100 मीटर दौड़ प्रतियोगिता में राजेश यादव ने प्रथम स्थान प्राप्त किया। 800 मीटर दौड़ में संगीता प्राथम स्थान प्राप्त कर बाजी मारी। लंबी कूद बालिका वर्ग में रिया व ऊंची कूद में खुशी ने जीत हासिल की। कबड्डी बालिका वर्ग में द वंडर यूथ क्लब की टीम जीत दर्ज कर ट्राफी पर कब्जा बनाया। कार्यक्रम आयोजन क्षेत्रीय युवा कल्याण अधिकारी राधा गुप्ता ने आए हुए अतिथियों का स्वागत कर आभार व्यक्त किया। कार्यक्रम में एडीओ आईएसबी देवेंद्र प्रसाद यादव, एडीओ समाज कल्याण कुलदीप यादव, अभिनव, चौकी इंचार्ज कुदरहा राम अशोक यादव, रामशंकर, अवनीश, आदित्य, रामअवध, दिलीप,रामप्रीत, बजरंगी लाल, पवन कुमार, हरिगोविंद सहित तमाम लोग मौजूद रहे।

अदालती नोटिस

सम्मन वास्ते करारवाद उमूर तनकीह तलब

(आर्डर 5 कायदा 1 व 5)

मूलवाद सं0–215/2022

न्यायालय–श्रीमान सिविल जज (सी0डि0) एफ0टी0सी0 महोदय बस्ती जिला–बस्ती

ज्ञानदास आदि

बनाम

अमरनाथ आदि

1. अमरनाथ उम्र करीब 50 वर्ष पुत्र राम कुमार 2. रवि चौधरी उम्र करीब 35 वर्ष 3. सर्वेश चौधरी उम्र करीब 30 वर्ष 4. निरंजन चौधरी उम्र करीब 28 वर्ष 5. श्रीमती कमलेश्वरी उम्र करीब 55 वर्ष पत्नी सूर्यनाथ 6. कुमारी रानी उम्र करीब 25 वर्ष 7. कुमारी अंकिता उम्र करीब 20 वर्ष पुत्रीगण सूर्यनाथ निवासीगण मौजा मड़वानगर टोला बरगदवा तप्पा हवेली परगना बस्ती पूरब तहसील व जिला–बस्ती

–प्रतिवादी प्रथम वर्ग

8. श्रीमती माधवी शुक्ल उम्र करीब 40 वर्ष पत्नी दिनेश शुक्ल मौजा समौड़ा तप्पा दुबौलिया हाल मुकाम हवेली खास तप्पा हवेली परगना बस्ती पूरब तहसील व जिला–बस्ती 9. श्रीमती सुक देवी उम्र करीब 60 वर्ष पत्नी परमहंस साकिन मौजा बड़ेबन (मड़वानगर) तप्पा हवेली परगना बस्ती पूरब तहसील व जिला–बस्ती 10. श्रीमती सिम्पल उम्र करीब 40 वर्ष पत्नी फूलचन्द्र चौधरी मौजा पिकौरा बक्श हाल मुकाम मौजा हवेली खास तप्पा हवेली परगना बस्ती पूरब तहसील व जिला–बस्ती

–प्रतिवादीगण द्वितीय वर्ग

तारीख पेशी 22–01–2025

हरगाह ने आपके नाम नालिश बाबत के दायर की है। लिहाजा आपक 22 माह 01 सन 2025 ई0 बवक्त 10 बजे दिन असालतन या मारफत वकील के जो मुकदमें के हालत से करार वाकई वाकिफ किया गया हो और जो कुल उमूर अहम मुतल्लिका मुकदमा जवाब दे सके या जिसके साथ कोई और सख्श हो जो कि जवाब ऐसे सवालात का दे सके हाजिर हो और जवाबदेही दावा कीजिये और हरगाह वही तारीख जो आपके इजहार के लिये मुकर्रर है वास्ते इनफिसाल कत्तई मुकदमा के तजबीज हुई है और आपको लाजिम है कि उसी रोज जुमला दस्तावेज को जिनको आप अपनी जबाबदेही के तहत इस्तेमाल करना चाहते हो पेश करें।

आपको इत्तिला दी जाती है कि अगर बरोज मजकूर आप हाजिर न होंगे तो मुकदमा बगैर हाजिरी आपके मसमुआ और फैसला होगा।

बसख्त मेरे दस्तखत और मुहर अदालत के आज बतारीख माह सन 20 ई0 जारी किया गया।

–द0 हाकिम

अदालती नोटिस

न्यायालय सिविल जज (सी0डि0) सिद्धार्थनगर स्थान द्वारा निकाली गयी उद्घोषणा

प्रकीर्ण उत्तराधिकार वाद संख्या– 141/2024

1. अमित कुमार शुक्ला उम्र 48 वर्ष 2. अनूप कुमार उम्र 47 वर्ष पुत्रगण स्व0 रमाकान्त शुक्ल 3. संध्या मिश्रा उम्र 43 वर्ष पुत्री स्व0 रमाकान्त शुक्ल निवासी बेदौली खुर्द तप्पा असनार परगना बांसी पूरब तहसील बांसी जिला–सिद्धार्थनगर

प्रार्थी/प्रार्थीगण

बनाम

इस्टेट

प्रा0 पत्र अन्तर्गत दफा 372 भारतीय उत्तराधिकार अधिनियम

तारीख पेशी 17–01–2025

अपने मृतक को देय ऋण और प्रतिभूतियों को वसूल करने के लिये प्रमाण पत्र की अभिप्राप्ति के लिये सन 1886 ई0 के अधिनियम 7 के अधीन उत्तराधिकार का आवेदन के लिये।

चूंकि ने प्रमाण पत्र को अभिप्राप्ति के लिये आवेदन दिया है और सन 2025 के 01 के 17 दिवस आवेदन को सुनवाई के लिये नियत हुआ है। अतः यह उदघोषणा निकाली जाती है कि जिस किसी को उक्त आवेदन के सम्बन्ध में आपत्ति हो वह स्वयं या अभिवक्ता द्वारा ..10 बजे पूर्वान्ह न्यायालय सिविल जज प्रवर खण्ड सिद्धार्थनगर में नियत दिनांक पर उप स्थित होकर अपनी आपत्ति पेश करें। उक्त दिनांक के अवसान पर फिर किसी की आपत्ति न सुनी जायेगी और आवेदन के सम्बन्ध में यथोचित आदेश पारित होगा।

20 के के दिवस को दिनांकित।

द0 हाकिम

दैनिक भारतीय बस्ती

स्वत्वाधिकारी, प्रकाशक, मुद्रक प्रदीप चन्द्र पाण्डेय द्वारा दर्पण प्रिन्टिंग प्रेस वि0. नया हाल 1–4 A लोहिया काम्पलेक्स जिला पंचायत भवन गांधीनगर बस्ती (उ.प्र.) से मुदित एवं प्रकाशित।
सम्पादक दिनेश चन्द्र पाण्डेय

प्रबन्ध सम्पादक–दिनेश सिंह
संयुक्त सम्पादक–प्रदीप चन्द्र पाण्डेय
अयोध्या–फैजाबाद कार्यालय– चतुर्भुजी मंदिर परिसर लक्ष्मण घाट अयोध्या–फैजाबाद
लखनऊ कार्यालय– आशियाना चौराहा, एल.डी.ए. कालोनी, सेक्टर एच. कानपुर रोड लखनऊ।
गोरखपुर कार्यालय– इलाहीबाग गोरखपुर।
मो09450567450 9336715406,
ई.मेलbhartiyabasti@yahoo.com
bhartiyabasti@gmail.com